



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]  
No. 246]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2008/वैशाख 16, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2008/VAISAKHA 16, 1930

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2008

सा.का.नि. 340(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उनका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;
- (ख) "नियत दिन" से 1 अक्टूबर, 2007 तारीख अभिप्रेत है जब सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना अधिसूचित की;
- (ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास" से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाना, निर्मित करना, प्रचालित करना अथवा उसका विस्तार करना अभिप्रेत है ;

(ड) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की "मितव्ययी अवधि" निम्नलिखित से प्रारंभ होकर 25 साल की होगी;

(i) यदि कोई कंपनी नियत दिन से अथवा उसके बाद प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने अथवा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करती है तो बोर्ड द्वारा कंपनी को प्राधिकार देने की तारीख;

(ii) यदि किसी कंपनी ने नियत दिन से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने अथवा उसका विस्तार करने का कार्य शुरू किया है और कंपनी के पास केन्द्रीय सरकार का कोई प्राधिकार है अथवा इन विनियमों के अधीन बोर्ड का कोई प्राधिकार है तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने अथवा उसका विस्तार करने संबंधी भौतिक क्रियाकलापों की शुरुआत करने की तारीख;

परन्तु 25 वर्ष की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर बोर्ड द्वारा इन विनियमों के अधीन सेवा उत्तरदायित्व के संतोषप्रद अनुपालन पर निर्भर करते हुए और ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो तत्समय उपर्युक्त समझे जाएं, किफायती अवधि एकबार में दस वर्षों के ब्लाक के लिए बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

(च) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन" से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए स्पर लाइनों सहित कोई पाइपलाइन अभिप्रेत है और इसमें सभी संबंधित उपस्कर और सुविधाएं जैसे कि कंप्रेसर, भंडारण सुविधाएँ, मीटरिंग यूनिटें आदि शामिल हैं लेकिन निम्नलिखित शामिल नहीं हैं -

(i) एक विशिष्ट उपभोक्ता के लिए उसकी जरूरत को पूरा करने हेतु प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए न कि पुनः बिक्री के लिए बिछाई गई समर्पित पाइपलाइन;

(ii) नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में पाइप लाइनें जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनी को नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 द्वारा विनियमित की जाती हैं।

(घ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (रूपए/एमएमबीटीयू) रूप में टैरिफ की यूनिट दर अभिप्रेत है (सांविधिक करों और उपकरणों को छोड़कर):

(ज) टैरिफ जोन से अभिप्रेत है -

(i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग के साथ-साथ 300 किलोमीटर की लंबाई का जोन और

(ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई की 10 प्रतिशत तक की चौड़ाई के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ-साथ एक कारीडोर से अभिप्रेत है जिसमें स्पर लाइनों की लंबाई अथवा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दोनों ओर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सतह पर निकटतम बिंदु से मापी गई 50 किलोमीटर, जो भी कम हो शामिल नहीं है;

परन्तु यह कि प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ, जोन के भीतर अवस्थित सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान होगा।

परन्तु यह भी कि कंपनी जोन में स्थित किसी भी उपभोक्ता को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से नई स्पर लाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर करेगी।

#### स्पष्टीकरण -

(क) पहले जोन की लंबाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस के इंजेक्शन के पहले बिंदु से शुरू होगी और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ-साथ 300 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ाई जाएगी;

(ख) पहले जोन के पश्चात् प्रत्येक जोन की लंबाई 300 किलोमीटर के बराबर होगी; और

(ग) अंतिम जोन की लंबाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में शेष लंबाई के बराबर होगी:

परन्तु यह कि शुरुआती बिंदु से पहले और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ अंतिम बिंदु के बाद पाइपलाइन लंबाई की 10 प्रतिशत दूरी, स्पर लाइनों अथवा 50 किलोमीटर छोड़कर, जो भी कम हो, प्रथम टैरिफ जोन और अंतिम टैरिफ जोन के भीतर आएगी।

(2) इन विनियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया है और जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु जिन्हें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित किया गया है उनका अभिप्राय अधिनियम में अथवा नियमों में अथवा विनियमों में, जैसा भी मामला हो, लिये गये अर्थ से है।

### 3. लागू होना

ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे

(क) जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछा रहा है, निर्मित कर रहा है, प्रचालित कर रहा है अथवा उसका विस्तार कर रहा है अथवा जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता है: अथवा

(ख) जो एक विशिष्ट उपभोक्ता को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए समर्पित पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने का प्रस्ताव करता है अथवा जिसे बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाता है।

### 4. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से अथवा बोर्ड द्वारा अपनी ओर से प्रस्ताव की शुरुआत

(1) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने का इच्छुक कोई कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (फीस और अन्य प्रभार लगाना) विनियम, 2007 के अधीन विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ अनुसूची क में दिए गए आवेदन फार्म में बोर्ड को अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा।

- (2) बोर्ड किसी मार्ग के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए किसी कंपनी के चयन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए व्यक्तियों/फर्मों को आमंत्रित करते हुए अपनी ओर से प्रस्ताव कर सकता है।

#### 5. अभिरूचि की अभिव्यक्ति माध्यम के लिए कंपनी के चयन का मानदंड

- (1) यदि अभिरूचि की अभिव्यक्ति में अनुसूची 'क' में यर्जित मानदंड और अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है तो बोर्ड अभिरूचि की अभिव्यक्ति और 30 दिन की जन परामर्श अवधि की शुरुआत प्रकाशित करते हुए कम से कम एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक खुला विज्ञापन देगा।
- (2) जन परामर्श प्रक्रिया अवधि के दौरान कोई अन्य कंपनी जो उप-विनियम (1) में दिए अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने में रुचि दिखा सकती है, बोर्ड को अभिरूचि की अभिव्यक्ति पर अपने विचार, यदि कोई हों, लिखित में प्रस्तुत कर सकती है।
- (3) बोर्ड विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों द्वारा क्षमता दर्ज करने के लिए संभव संविदाओं में मदद के लिए प्राप्त हुए सभी मतों को उन व्यक्तियों/फर्मों के साथ वैवहोस्ट करेगा ताकि विनियम 7 में बताए अनुसार बोली की प्रक्रिया के जरिए एक इष्टतम आकार की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को तैयार करने में मदद मिल सके।
- (4) बोर्ड प्राप्त हुए विचारों के आधार पर जन परामर्श अवधि के अंतिम दिन के बाद 45 दिनों की अवधि के भीतर निम्नलिखित के संबंध में निर्णय करेगा -
- (क) प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के आधार पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति को अस्वीकार करना;
- (ख) यदि यह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्मित करने अथवा उसका विस्तार करने के बावजूद अनुमानित संभावित मांग मौजूदा पाइपलाइन के विस्तार के जरिए लागत प्रभावी तरीके से बेहतर ढंग से पूरी की जा सकती है, तो प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए अनुमति न देना; अथवा

(ग) आशोधनों के साथ अथवा उनके बिना प्रस्ताव को आगे बढ़ाना;

परन्तु यदि अपेक्षित हो, तो बोर्ड उन व्यक्तियों/फर्मों के साथ खुला विचार-विमर्श भी कर सकता है जिन्होंने निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं;

परन्तु यह भी कि कोई ऐसा निर्णय लेने में, निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों से दिशा निर्देशित होगा, अर्थात:-

- (i) व्यक्तियों/फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
- (ii) निष्फल निवेश से बचाना
- (iii) समान वितरण करने के लिए आपूर्तियों को बनाए रखना अथवा उन्हें बढ़ाना अथवा देशभर में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (iv) उचित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के संदर्भ में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
- (v) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना के द्रुत विकास को प्रेरित करना।

(5) बोर्ड उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, कम से कम एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में (बेबहोस्टिंग सहित) एक खुले विज्ञापन के जरिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास हेतु प्रस्ताव प्रकाशित कर सकता है और उसके लिए बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

(6) बोर्ड केवल उन व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त बोलियों की संविक्षा करेगा जो निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरे करती हों, अर्थात:-

(क) जिस कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (फीस और अन्य प्रभार लगाना) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन यथानिर्दिष्ट ट्रंक लाइनों के लिए यथानिर्दिष्ट आवेदन-सह-बोली के साथ-साथ आवेदन फीस का भुगतान किया हो।

बशर्त कि बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म, जिसने अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण के समय आवेदन फीस का पहले ही भुगतान कर दिया

हो, इस स्तर पर आवेदन फीस का भुगतान नहीं करेगी।

(ख) कंपनी निम्नलिखित अर्हक मानदंड के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और निर्मित करने में तकनीकी तौर पर सक्षम है, अर्थात:-

- (i) कंपनी ने विगत में अपने आप संचयी आधार पर या तो तीन सौ किलोमीटर से अनधिक लंबाई की हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाया और निर्मित किया हो।
- (ii) कंपनी का उस अन्य व्यक्ति/फर्म (उस कंपनी के साथ कम से कम ग्यारह प्रतिशत इक्विटी धारिता) के साथ संयुक्त उद्यम हो जिसने विगत में अपने आप संचयी आधार पर या तो तीन सौ किलोमीटर से अनधिक लंबाई की हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाया और निर्मित किया हो।
- (iii) कंपनी एक मुश्त टर्नकी अथवा एक अथवा एकाधिक तकनीकी तौर पर सक्षम उम्र फर्मों के जरिए परियोजना प्रबंधन परामर्श पर प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और निर्मित करने का इरादा रखती हो, जिन्होंने विगत में या तो तीन सौ किलोमीटर से अनधिक लंबाई की हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाया और निर्मित किया हो और कंपनी उनकी क्षमता के उपर्युक्त प्रमाणों के साथ ऐसी फर्मों की एक सूची भी संलग्न करेगी।

परन्तु यह कि कंपनी को परियोजना के निष्पादन के समय शामिल फर्मों में से चयन करने की स्वतंत्रता होगी और बोर्ड सूची में शामिल फर्मों की विश्वसनीयता का प्रति-सत्यापन करने और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता हो।

- (iv) कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी तौर पर अर्हताप्राप्त कार्मिक हो, जिनके पास निर्माण, हाईड्रोकार्बन पाइपलाइनों की संस्थापना-पूर्व और संस्थापना का अनुभव हो और स्टैंडअलोन आधार पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को स्वतंत्र रूप से चलाने और निष्पादित करने की एक विश्वसनीय योजना भी

स्पष्टीकरण:- कंपनी के पास इसकी स्थायी सूची में कम से कम तकनीकी तौर पर तीन अर्हता प्राप्त कार्मिक होंगे जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, अर्थात:-

- (क) मार्ग अधिग्रहण अथवा अनुमति प्राप्ति;
  - (ख) हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना का डिजाइन और निष्पादन;
  - (ग) हाइड्रो परीक्षण और पुनः प्रचालन सहित पूर्व-संस्थापना; और
  - (घ) हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन और अधिष्ठापनों की सुरक्षा;
- (ग) कंपनी निम्नलिखित अर्हक मानदंडों के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण में तकनीकी तौर पर सक्षम है; अर्थात:-

(i) कंपनी के पास संचयी आधार पर तीन सौ किलोमीटर से अनधिक लंबाई की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव है।

(ii) कंपनी का उस अन्य व्यक्ति/फर्म (उस कंपनी के साथ कम से कम ग्यारह प्रतिशत इक्विटी धारिता वाली) के साथ संयुक्त उपक्रम हो जिसके पास प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो;

(iii) कंपनी ऐसे अन्य पक्ष के साथ कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए एक उपयुक्त ठोस तकनीकी सहायता करार के माध्यम से प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण का इरादा रखती हो जिसके पास प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रचालन और

अनुरक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो; अथवा

- (iv) कंपनी के पास प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण में अनुभव रखने वाले तकनीकी तौर पर अर्हताप्राप्त कार्मिक पर्याप्त संख्या में हों और स्टैंडअलोन आधार पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से चलाने की विश्वसनीय योजना भी हो।

#### स्पष्टीकरण:-

##### 1. उपखंड (iii) के संबंध में -

- (क) कंपनी अपनी आवेदन-सह-बोली में उन प्रस्तावित फर्मों की एक पूरी सूची उनके संगत और विश्वसनीय अनुभव के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगी जिनके साथ यह एक तकनीकी सहायता करार करना चाहती है और कंपनी प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इस सूची में निहित फर्मों में एक या अधिक फर्म का चयन कर सकती है और बोर्ड इस सूची में शामिल फर्म अथवा फर्मों की विश्वसनीयता को प्रति-सत्यापित करने और कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है।;

- (ख) कंपनी प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एक आंतरिक प्रचालन एवं अनुरक्षण दल तैयार करने हेतु बोली के साथ-साथ एक विश्वसनीय योजना भी प्रस्तुत करेगी।

##### 2. उपखंड (iv) के संबंध में, कंपनी के पास इसकी स्थायी सूची में तकनीकी तौर पर कम से कम तीन अर्हता प्राप्त कार्मिक होंगे जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, अर्थात:-

- (क) हाईड्रोकार्बन पाइपलाइन की संस्थापना;  
(ख) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैस कंप्रेसरों सहित

प्राकृतिक गैस अधिष्ठानों का प्रचालन और अनुरक्षण;

(ग) व्यवसायिक मामले जैसे गैस कीमत निर्धारण, गैस मापन, लेखा, बिलिंग और संग्रहण; और

(घ) प्राकृतिक गैस अवसंरचना की सुरक्षा;

(घ) कंपनी सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों संबंधी संगत विनियमों के अनुपालन हेतु सहमत हुई है;

(ड) कंपनी के पास प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निष्पादन और उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था है और यह एकल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की बोली के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों को पूरा करेगी:-

स्पर लाइनों सहित अनुमानित पाइपलाइन लंबाई की सीमा (किलोमीटर में)- (=)	एकल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में निवेश के लिए उपलब्ध अपने संयर्धक के साथ कंपनी की न्यूनतम सम्मिलित निवल संपत्ति *
1,751/ और ऊपर	7.50
1,001-1,750	7.00
251-1,000	6.00
250 तक	5.00

\* सम्मिलित निवल संपत्ति (इक्विटी शेयर पूंजी+फ्री रिजर्व, लेकिन रिबेन्यूएशन रिजर्व को छोड़कर) पर्याप्त रूप में नगद निधि के रूप में हो, जो कंपनी की अद्यतन वित्तीय स्थिति पर आधारित सनदी लेखाकार द्वारा यथाप्रमाणित परियोजना में ब्रिज फाइनांस और संयर्धक के इक्विटी अंशदान के रूप में उपलब्ध होगी। इस बात का उल्लेख करते हुए कि परियोजना में संयर्धक का वित्तीय अंशदान प्राधिकार देने की तारीख से तीन महीनों के भीतर इक्विटी शेयर पूंजी में बदल जाएगा, कंफर्ट पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए जिसके समर्थन में विधिवत एक लेटर आफ कंफर्ट हो (अनुमानित पाइपलाइन लंबाई के प्रति किलोमीटर मिलियन रूप में)

- = दो दशमलव स्थान में लंबाई के एकभाग और 0.50 किलोमीटर के बराबर और उससे अधिक को अगले एक किलोमीटर में पूर्णांक बना दिया जाएगा।
- (च) कंपनी एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने पर यदि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कंपनी नहीं है तो वह अपने आप को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कंपनी में परिवर्तित कर लगी।
- (छ) कंपनी की प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता के उपयोग की एक विश्वसनीय योजना होगी।
- (ज) कंपनी उप-विनियम (7) के अधीन नीचे दी गई लागू श्रेणी के अनुसार आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई के अनुसार निर्धारित राशि का एक बोली बंधपत्र प्रस्तुत करेगी।

पाइपलाइन लंबाई स्पर लाइन सहित (किलोमीटर में) (#)	बोली बंधपत्र की राशि (मिलियन रूपए में)
2,501 के बराबर और उससे अधिक	250
1,751 और 2,500 के बीच	200
1,001 और 1,750 के बीच	150
251 और 1,000 के बीच	80
250 के बराबर और उससे कम	20

- (#) - दो दशमलव स्थान में लंबाई के एकभाग और 0.50 किलोमीटर के बराबर और उससे अधिक को अगले एक किलोमीटर में पूर्णांक बना दिया जाएगा।
- (झ) बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी पर खंड 28 के अधीन कोई शास्ति नहीं लगी होनी चाहिए और अधिनियम के अध्याय IX के अधीन दंडित नहीं होनी चाहिए।

(अ) कंपनी का निम्नलिखित आधारों पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने हेतु सहमति हो, अर्थात:-

(i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात:-

(क) कंपनी की क्षमता अपेक्षाएं;

(ख) दूसरी फर्मों/व्यक्तियों के साथ पक्की संविदाकृत क्षमता

(ग) क और ख की राशि का कम से कम तैंतीस प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के रूप में हो।

**स्पष्टीकरण:-**

(i) क्षमता, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट आधारों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी।

(ii) उपखंड (i) की मद (ग) पर उल्लिखित क्षमता खुली और गैर-विभेदकारी आधार पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा एक साझे वाहन के रूप में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेगी;

(ट) यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी खंड (क) से (अ) के अधीन किसी मानदंड की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती तो उसके द्वारा प्रस्तुत बोली सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी और इस संबंध में एक संसूचना उसे भेज दी जाएगी और उस कंपनी के लिए वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी;

(ठ) बोली बंधपत्र का/की

(i) यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी बोली से हट जाती है तो नगदीकरण किया जाएगा;

(ii) बोली प्रस्तुत करने वाली असफल कंपनी के संबंध में निर्मुक्त की जाएगी;

(iii) सफल बोलीदाता द्वारा प्राधिकर के समय निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करने तक रोक दिया जाएगा।

(7) आवेदन-सह-बोली अनुसूची 'ख' में यथानिर्दिष्ट रूप में अलग-अलग विधिवत चिह्नित और सीलबंद लिफाफों में - दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात:-

(क) भाग - I (तकनीकी बोली) उपविनियम (6) के अधीन आवेदक के सामान्य विवरण और परियोजना के तकनीकी विवरण (न्यूनतम पात्रता मानदंडों सहित)।

(ख) भाग-II (वित्तीय बोली) विनियम (10) के अधीन विवरण।

(8) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करने के लिए साठ दिनों की समयावधि दी जाएगी और अधिसूचित तिथि के बाद प्राप्त हुई किसी आवेदन-सह-बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) बोर्ड एक ऐसी स्थिति में, जब मूल विज्ञापन के प्रत्युत्तर में केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्राप्त होती है, सहित उपविनियम (5) के अधीन यथानिर्दिष्ट तरीके से एक विज्ञापन के जरिए बोलियां प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि तक बढ़ा सकता है।

6. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने हेतु बोर्ड द्वारा पहल:

बोर्ड किसी विशिष्ट स्थान, क्षेत्र, अथवा मार्ग में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के बारे में अपने आप एक राय बना सकता है और ऐसे मामलों में, विनियम 5 में यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया (अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पहलुओं को छोड़कर जो, बोर्ड द्वारा तैयार किए गए परियोजना विवरण द्वारा प्रतिस्थापित होंगे) लागू होगी।

## 7. बोली का मानदंड

(1) बोर्ड नीचे दिए गए बोली मानदंड के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने वाली सभी वित्तीय बोलियों को सारणीबद्ध करेगा और उनकी तुलना करेगा, अर्थात्:-

(क) परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्रथम टैरिफ जोन हेतु इस खंड के अधीन यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली के वर्तमान मूल्य की निम्नतमता (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए होगी)।

इसे चालीस प्रतिशत का अधिमान मिलेगा:

परन्तु यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई तीन सौ किलोमीटर से अधिक नहीं है तो इस मानदंड में सत्तर प्रतिशत का अधिमान मिलेगा।

(ख) इस खंड के अधीन प्रतिशत वृद्धि बोली की निम्नतमता जिसे जब खंड (क) के अधीन परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली से गुणा किया जाता है तो प्रत्येक के लिए प्रथम टैरिफ जोन की तुलना में द्वितीय टैरिफ जोन के लिए वृद्धिपरक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण होगा। (एक नंबर की ही बोली लगानी है।)

इस मानदंड को बीस प्रतिशत का अधिमान मिलेगा।

परन्तु, यह कि इस मानदंड के लिए:

(i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई तीन सौ किलोमीटर से अधिक न होने के मामले में कोई अधिमान नहीं;

(ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई तीन सौ किलोमीटर से अधिक होने परन्तु छह सौ किलोमीटर से अधिक न होने की स्थिति में तीस प्रतिशत का अधिमान;

(ग) इस खंड के अधीन प्रतिशत वृद्धि बोली की निम्नतमता जिसे जब परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए खंड (क) के अधीन

और खंड (ख) के अधीन प्रतिशत बोली के लिए यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली से गुणा किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के लिए द्वितीय टैरिफ जोन की तुलना में तृतीय टैरिफ जोन के लिए वृद्धिपरक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण होगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक उत्तरोत्तर टैरिफ जोन के लिए परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में वर्धनात्मक वृद्धि प्रत्येक वर्ष के लिए तत्काल पूर्व जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में वर्धमान वृद्धि से खंड (ग) के अधीन प्रतिशत वृद्धि बोली गुणा करके निर्धारित की जाएगी (एक सौ प्रतिशत से कम एक नंबर की ही बोली लगानी है)।

इस मानदंड को दस प्रतिशत का अधिमान मिलेगा;

परन्तु यह भी कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई छह सौ किलोमीटर से अधिक न होने की स्थिति में इस मानदंड को कोई अधिमान नहीं मिलेगा;

**स्पष्टीकरण:-**

किसी कंपनी द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन उद्घृत बोलियों के आधार पर विभिन्न टैरिफ जोनों के लिए यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ की गणना हेतु एक उदाहरण अनुसूची 'ग' में दिया गया है।

(घ) परियोजना की किफायती अवधि में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में ले जाई जाने वाली प्रस्तावित प्राकृतिक गैस मात्रा (प्रतिदिन मिलियन मानक क्यूबिक मीटरों में) के वर्तमान मूल्य की उच्चता। (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिहयन के लिए प्राकृतिक गैस मात्रा बोली परियोजना की किफायती अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए होगी)।

इसे तीस प्रतिशत का अधिमान मिलेगा।

- (2) उपविनियम (1) की धारा (क) और (घ) और मानदंड में वर्तमान मूल्य की कंपनी द्वारा बारह प्रतिशत के बराबर छूट दर का इस्तेमाल करते हुए गणना की जाएगी।
- (3) कंपनी द्वारा उपविनियम के खंड (क) से (ग) के अधीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के लिए बोलियां और उपविनियम (1) के खंड (घ) के अधीन

मात्रा कंपनी द्वारा परियोजना के अपने अनुमोदित डीएफआर में लगाए गए पूर्वानुमानों के अनुरूप होगी।

- (4) उपविनियम (1) के खंड (क) और (घ) के अधीन मानदंड और जैसाकि अनुसूची 'ग' में दिया गया है, उच्चतम कम्पोजिट स्कोर पाने वाली कंपनी बोली में सफल घोषित की जाएगी।

#### 8. निष्पादन बंधपत्र

- (1) चयनित कंपनी को प्राधिकार उसके द्वारा अनुमोदित बोली में अनुमानित परियोजना लागत के 2% के बराबर की राशि का निष्पादन बंधपत्र प्रस्तुत करने के बाद दिया जाएगा।

#### स्पष्टीकरण:-

यदि विनियम 10 के अनुसार वित्तीय समाप्ति पूरी होने पर अनुमानित परियोजना लागत में परिवर्तन हो जाता है तो उपर्युक्त आधारों को लागू करके निष्पादन बंधपत्र की राशि संशोधित की जाएगी।

- (2) निष्पादन बंधपत्र उपविनियम (3) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की समय पर संस्थापना की गारंटी और परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान चयनित कंपनी द्वारा सेवा उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भी विहित किया गया है।
- (3) कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संस्थापना के लिए प्राधिकार देने की तारीख से छत्तीस महीने की अधिकतम अवधि दी जाएगी।

#### 9. प्राधिकार देना

- (1) चयनित कंपनी को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुसूची (घ) में दिए प्रारूप के अनुसार प्राधिकार दिया जाएगा।
- (2) प्राधिकार की प्रदानगी विनियम 10 के अनुसार कंपनी द्वारा दृढ़ प्राकृतिक गैस करार कर लेने और वित्तीय समाप्ति की शर्त पर होगा।

- (3) कंपनी को प्राधिकार की प्रदानगी, इसे जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति अथवा फर्म को विक्रय, सुपुर्दगी अथवा समर्पण के जरिए परित्यक्त नहीं की जाएगी।
- (4) तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात अन्य कंपनी के पक्ष में प्राधिकार परित्यक्त करने की इच्छुक कंपनी कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड द्वारा मांगी गई समस्त सूचना उपलब्ध कराएगी।
- (5) बोर्ड इस बात से अपने आप को संतुष्ट करने के बाद कि इस प्रस्ताव से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने की मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो पूरे प्रस्ताव को अथवा ऐसे आशोधनों के साथ, जो उचित समझे जाएं प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और ऐसे मामले में जहां कंपनी को बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने की अनुमति दी गई है, ऐसे कंपनी को सेवा उत्तरदायित्वों के अनुपालन सहित प्राधिकार की मौजूदा अथवा आशोधित शर्तों और निबंधनों का पालन करना होगा।

परन्तु यह कि बोर्ड को लोक हित में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है और ऐसे मामले में बोर्ड ऐसी अस्वीकृति के लिए लिखित में कारण बताएगा।

#### 10. क्षमता बुकिंग, प्राकृतिक गैस करार और वित्तीय समाप्ति

- (1) प्राधिकृत कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संस्थापना के बाद प्रत्येक पहले पाँच वर्षों के लिए विनियम (7) के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन मात्रा बोली के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर किसी कंपनी के साथ प्राकृतिक गैस के परियहन के लिए करार हासिल करेगी।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट करार एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और एट एन आर्म्सलेंथ के सिद्धांत पर आधारित होगा।

परन्तु यह कि उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में थ्रुपुट का दस प्रतिशत तक प्राकृतिक गैस की भौतिक प्रदानगी पर बल दिए बिना दृढ़ और परस्पर सहमति प्राप्त शर्तों पर बुक किया जा सकता है।

- (3) कंपनी प्राधिकार जारी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की प्रति प्रस्तुत करेगी।
- (4) प्राधिकृत कंपनी प्राधिकार के एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से वित्तीय समापन प्राप्त करेगी।
- (5) आंतरिक तौर पर वित्तपोषित किसी परियोजना के मामले में कंपनी प्राधिकार के एक सौ बीस दिन के भीतर अपनी वित्तीय योजना के साथ-साथ परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (जिसे इसके बाद डी एफ आर कहा गया है) के लिए इसके निदेशक मंडल का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी/करेगा।

परन्तु यह कि बोर्ड कंपनी को वित्तीय समापन पर कोई और वियरण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

- (6) यदि कंपनी उप-विनियम (1) से (5) तक की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहती है तो कंपनी को प्रदत्त प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा और निष्पादन बंधपत्र को भुना लिया जाएगा तथा बोर्ड को पारदर्शी ढंग से पुनः प्राधिकार देने का अधिकार होगा, और कंपनी को इसके लिए बोर्ड से कोई मुआयजा प्राप्त करने या समाधान करने का कोई अधिकार, जो कोई भी हो, नहीं होगा।

#### 11. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण और यस्ली

- (1) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ कंपनी द्वारा बोली के अनुसार, अर्थात्- विनियम 7 के उप-विनियम (1) के मानदंड (क) से (ग) के अंतर्गत जोनल पोस्टेलाइज्ड आधार पर नियत किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट आधार पर विभिन्न टैरिफ जोनों के लिए नियत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ कंपनी द्वारा विभिन्न टैरिफ जोनों में स्थित उपभोक्ताओं से तदनुसार यस्ल किया जाएगा।
- (3) लागू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ गैर-विभेदकारी आधार अर्थात् सभी उपभोक्ताओं से बिना किसी प्रीमियम अथवा फ्ल्ट के एक बीजक के माध्यम से यस्ल किया जाएगा।

- (4) प्राधिकृत कंपनी से मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं में यथानिर्दिष्ट देय दबाव में कमी किए बगैर इसकी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (जिसे इसके बाद डीएफआर कहा गया है) के अनुसार और सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के लिए संगत विनियमों के अनुसार हर समय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्रचालन दबाव को बनाए रखने की आशा की जाती है:

परंतु यह कि प्राधिकृत कंपनी ऐसे उपभोक्ता से जिसे प्राकृतिक गैस आपूर्ति की गई परिकल्पना के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन दबाव प्रोफाइल से ज्यादा और संविदा में यथा-परिभाषित एक विशेष देय दबाव पर दी जानी अपेक्षित है, उप-विनियम के अधीन यथा-निर्दिष्ट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में शामिल न की गई सीमा तक प्राकृतिक गैस के कंप्रेशन के लिए अतिरिक्त कंप्रेशन प्रभार अलग से वसूल कर सकती है।

## 12. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता का विस्तार

- (1) कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में दस प्रतिशत तक प्राधिकृत क्षमता विस्तार कर सकती है और अपने निर्णय की सूचना तत्काल बोर्ड को देगी।

परंतु यह कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में विस्तार पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- (2) यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत क्षमता से बढ़ाकर दस प्रतिशत से अधिक करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो कंपनी बोर्ड के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार के लिए अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि कंपनी विस्तार से लागू पूर्व यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के आधार पर गणना किए गए प्रस्तावित वृद्धिपरक राजस्व टैरिफ के पचास प्रतिशत की भागीदारी के द्वारा यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और परिवहन की जाने वाली वृद्धिपरक मात्रा में कमी करने के लिए सहमत हो।

## 13. प्राधिकार-उपरांत कार्यकलापों की निगरानी (स्थापना-पूर्व)

- (1) प्राधिकृत कंपनी तिमाही आधार पर प्राप्त अनुमोदनों, प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्यों तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची ड. पर दिए गए प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराएगी।

(2) बोर्ड कंपनी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सुरक्षित स्थापना और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापना चरण के दौरान तथा उसके बाद तकनीकी और सुरक्षा सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(3) बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग-परिवर्तन की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि ऐसे मार्ग-परिवर्तन से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई में उसकी प्राधिकृत लंबाई से दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो:

आगे यह भी कि प्राधिकरण के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क वही रहेगा।

(4) बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनी की प्रगति की निगरानी करेगा, और, कोई विचलन या कमी पाए जाने पर कंपनी को उपचारी कार्रवाई करने की सलाह देगा।

#### 14. प्राधिकृत कंपनी के सेवा उत्तरदायित्व (संस्थापना-पश्चात)

(1) कंपनी बोली में उल्लिखित प्राकृतिक गैस की मात्रा के बराबर प्राकृतिक गैस के परिवहन के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करेगी और बोर्ड तिमाही आधार पर इस संबंध में वास्तविक प्रगति की निगरानी करेगा।

परंतु, यह कि कंपनी द्वारा वार्षिक लक्ष्यों को पूरा न करने से चूक होगी और निम्नलिखित आधार पर निष्पादन बंधपत्र को भुनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) पहली चूक के लिए निष्पादन बंधपत्र की राशि का पच्चीस प्रतिशत;

(ख) दूसरी चूक के लिए निष्पादन बंधपत्र की राशि का पचास प्रतिशत;

(ग) तीसरी चूक के लिए निष्पादन बंधपत्र की राशि का एक सौ प्रतिशत;

परंतु यह भी कि कंपनी भुनाने के एक सप्ताह बाद खंड (क) से (ग) में दिए गए प्रत्येक मामले में भुनाए गए निष्पादन बंधपत्र की पूर्ति करेगी और अपेक्षाएं पूरी न करने के मामले में प्राधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा।

- (2) प्राधिकृत कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस के परिवहन और किसी उपभोक्ता को इसकी प्रदानगी की गतिविधियां कंपनी अथवा किसी अन्य कंपनी से प्राकृतिक गैस की व्यवस्था की शर्त पर नहीं कराएगी।
- (3) प्राधिकृत कंपनी पाइपलाइन क्षमता के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक आधार पर इस्तेमाल के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में उपलब्ध क्षमता का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी और एक्सेस कोड संबंधी संगत विनियमों में यथा-निर्दिष्ट अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना रखेगी।
- (4) सामान्य वाहक के रूप में इस्तेमाल के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में उपलब्ध क्षमता एक्सेस कोड संबंधी संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट आधार पर आबंटित की जाएगी और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को संविदा वाहक अथवा सामान्य वाहक के रूप में घोषित किया जाएगा।
- (5) प्राधिकृत कंपनी आवेदन-सह बोली के प्रस्तुतीकरण की अवस्था से लेकर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन चरण सहित आगे तक संबद्ध आचार संहिता की बाबत संगत विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगी।
- (6) प्राधिकृत कंपनी जब कभी बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहनीकृत प्राकृतिक गैस के वितरण अथवा विपणन के कार्यकलापों से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की गतिविधि की जरूरतों का अनुपालन करेगी।
- (7) प्राधिकृत कंपनी संस्थापना-पूर्व चरण के दौरान तथा सतत आधार पर विनिर्दिष्ट अंतरालों पर अथवा बोर्ड के निर्देश पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कराई जाने वाली तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदार होगी, उसके बाद सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों संबंधी संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और निष्कर्षों सहित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट समीक्षा के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड कंपनी को सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की सलाह देगा।
- (8) तृतीय पक्ष तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अथवा इसके साथ पंजीकृत स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों अथवा पैनल से बाहर की मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

### 15. सेवा मानकों की गुणवत्ता

- (1) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को अनुसूची च में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।
- (2) सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन करने में कंपनी के कार्य निष्पादन का बोर्ड द्वारा समय-समय पर आकलन किया जाएगा तथा इनकी न्यूनतम नियत बेंचमार्क से तुलना की जाएगी तथा कार्य-निष्पादन का स्तर न्यूनतम नियत बेंचमार्क से कम पाए जाने पर विनियम 16 के यथा-अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्रवाई की जा सकती है।

### 16. चूक के परिणाम और प्राधिकार प्रक्रिया का रद्द किया जाना

- (1) प्राधिकृत कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करेगी और केवल प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा करने में असफल रहने पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्:-
  - (क) बोर्ड दोषी कंपनी को विनियमों के अंतर्गत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उसे उपयुक्त समय देते हुए एक नोटिस जारी करेगा;
  - (ख) यदि कंपनी द्वारा बोर्ड को संतुष्ट करते हुए नियत अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;
  - (ग) सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहने पर बोर्ड निम्नलिखित आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन बंधपत्र को भुना सकता है, अर्थात्:-
    - (i) पहली चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि का पच्चीस प्रतिशत; और
    - (ii) दूसरी चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि का पचास प्रतिशत;

परंतु यह कि कंपनी राशि के भुनाए जाने के एक सप्ताह के अंदर उप-खंड (i) और (ii) के प्रत्येक मामले में कार्य-निष्पादन बंधपत्र की पूर्ति कर देगी, ऐसा न करने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की बकाया राशि को भी भुना लिया जाएगा और कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) तीसरी बार चूक के लिए कार्य-निष्पादन बंधपत्र की एक सौ प्रतिशत राशि भुना ली जाएगी तथा कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा;

(घ) किसी प्राधिकार को रद्द करने को लागू करने की प्रक्रिया अनुसूची छ में उपलब्ध कराए गए अनुसार होगी;

(ङ.) बोर्ड बिना किसी पूर्वाग्रह के खंड (क) से (घ) में यथा-विनिर्दिष्ट अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराध और दंड के लिए नियत अनुसार कार्रवाई करने के अलावा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सिविल दंड भी लगा सकता है।

17. नियत दिन से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्मित करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कंपनी

- (1) कंपनी अनुसूची झ में दिए फार्म में समर्थक दस्तावेजों के साथ संगत सूचना प्रस्तुत करेगी।
- (2) कंपनी संगत विनियमों के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों, विनिर्देशों का अनुपालन करेगी।
- (3) बोर्ड संस्थापना अधिधि के संदर्भ में तिमाही आधार पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, उसका निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने, परियोजना के डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों और प्राधिकार की शर्तों और निबंधनों में कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति को मानिटर करेगा ताकि अधिक लगने वाले समय और लागत से बचा जा सके जिससे कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

परंतु यह कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संस्थापना में अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट लक्ष्य के अलावा किसी लक्ष्य को पूरा करने में किसी विलंब की

स्थिति में बोर्ड को निम्नलिखित का अधिकार है-

(क) खंड (5) के अंतर्गत यथा-निर्दिष्ट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण करते समय अधिक लगे समय के कारण अतिरिक्त लागतों पर विचार न करना; अथवा

(ख) केंद्र सरकार को प्राधिकार रद्द करने और निष्पादन बंधपत्र अथवा बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को भुनाने की सलाह देना।

(4) बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के अधीन यथा-निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर कंपनी द्वारा लिए जाने वाले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अनुमोदन करेगा।

(5) केंद्र सरकार द्वारा सामान्य याहक अथवा संविदा याहक आधार के रूप में इस्तेमाल का निर्धारण किए बिना किसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्राधिकार देने के मामले में बोर्ड उसमें हस्तक्षेप करेगा और संगत विनियमों के तहत सामान्य याहक और संविदा याहक के रूप में उसे घोषित करेगा।

(6) कंपनी के कार्यकलाप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू ऐसे अन्य विनियमों के अध्याधीन होंगे।

18. नियत दिन से पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अप्राधिकृत व्यक्ति/फर्म

(1) नियत दिन से पूर्व किसी भी समय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत न किया गया हो, अनुसूची - झ में दिए गए फार्म में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन कर सकती है।

(2) बोर्ड प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) कंपनी नियत तिथि से पहले विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खंड (क) से (ड.) तथा (झ) में यथानियत न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करती है तथा उसके पास

केन्द्र तथा राज्य सरकारों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों की सभी आवश्यक सांविधिक अनुमतियां, अनुज्ञाएं तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र हैं।

- (ख) वह कंपनी जो प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत नहीं है, वह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी बनेगी:

बशर्ते कि बोर्ड उसे, उन शर्तों पर जिन्हें वह उपयुक्त समझे, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होने से छूट दे सकता है:

- (ग) परियोजना का वित्तपोषण करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्य निरूपित कंपनी के डीएफआर की तुलना में नियत दिन से तत्काल पहले तक हुई वास्तविक प्रगति तथा उसके फलस्वरूप वित्तीय वचनबद्धता का संतोषजनक निर्धारण। यदि परियोजना का वित्तपोषण किसी वित्तीय संस्थान द्वारा नहीं किया गया है तो बोर्ड डीएफआर का मूल्य निरूपण कर सकता है। कंपनी के डीएफआर में प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की विनिर्दिष्ट लंबाई, मार्ग तथा क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;
- (घ) खंड (ग) में संदर्भित कार्य की वास्तविक प्रगति तथा उसके फलस्वरूप वित्तीय वचनबद्धताओं के संबंध में कम से कम 25 प्रतिशत की वास्तविक प्रगति तथा नियत दिन से तत्काल पहले डीएफआर के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए नियत पूंजीगत व्यय में से कम 25 प्रतिशत पूंजीगत व्यय को पर्याप्त समझा जा सकता है;
- (ङ) बोर्ड के पास वास्तविक प्रगति तथा वित्तीय वचनबद्धता को प्रमाणित करवाने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस प्रगति के आधार पर बोर्ड कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, बनाने उसके प्रचालन अथवा विस्तार का प्राधिकार देने पर विचार कर सकता है-
- (i) डीएफआर में यथा-विनिर्दिष्ट मार्ग तथा लंबाई के अनुसार,
  - (ii) नियत दिन तक कार्यान्वयन के अंतर्गत वास्तविक रूप से तय किए गए मार्ग अथवा लंबाई के अनुसार; अथवा
  - (iii) बोर्ड द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट मार्ग अथवा लंबाई;
- (च) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, उसके प्रचालन अथवा विस्तार के संबंध में यह कंपनी पर है कि यह सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों तथा

विनिर्देशनों के संगत विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट लागू तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों तथा सुरक्षा मानकों को पूरा करने की अपनी योग्यता की पर्याप्त के बारे में बोर्ड को संतुष्ट करें;

- (छ) वित्तीय संस्थान द्वारा यथा-मूल्य निरूपित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को विकसित करने में वित्तीय वचनबद्धताओं को समय से तथा पर्याप्त रूप से पूरा करने में कंपनी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण तथा कंपनी के लेखों की परीक्षित बहियों की जांच;
- (ज) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता की बुकिंग कंपनी की अपनी क्षमता अपेक्षाओं तथा सुदृढ संविदात्मक क्षमता के कुल जोड़ के कम से कम 50 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए तथा इससे संबंधित करार पारदर्शी तरीके से किए जाने चाहिए तथा दूरी पर रखने के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए;
- (झ) कंपनी बोर्ड को धारा (ज) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फर्मड-अप संविदात्मक क्षमता के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस के तथा उसकी पूर्ति के करारों की प्रतियां प्रस्तुत करेगी; तथा
- (ञ) आवेदन की जांच के आधार पर बोर्ड द्वारा यथा-संगत समझा गया कोई अन्य मानदंड।
- (3) उप विनियम (2) के खंड (क) से (ञ) के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन मानदंड की मिश्रित प्रकृति तथा अंतर-संबद्धता को ध्यान में रखते हुए समग्रता में किया जाएगा।
- (4) बोर्ड, उप-विनियम (3) के अधीन मानदंड की शर्तों पर आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात और अन्य विनियमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी प्रथमदृष्ट्या यह मत बन सकता है कि क्या मामले पर प्राधिकार हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- (5) प्रथम दृष्ट्या विचार की स्थिति में, बोर्ड (वेबहॉस्टिंग सहित) एक राष्ट्रीय और एक स्थानिक समाचार पत्र में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिसमें परियोजना का संक्षिप्त व्यौरा दिया जाएगा और प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति से तीस दिन के भीतर टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगा।
- (6) बोर्ड, उप-विनियम (5) के अंतर्गत टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्राधिकार देने संबंधी मामले पर या तो विचार करेगा अथवा उसे अस्वीकार कर देगा।

- (7) यदि प्राधिकार देने के बारे में निर्णय ले लिया जाता है तो यह अनुसूची घ पर दिए अनुसार होगा।
- (8) आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाने के मामले में बोर्ड, संबंधित पक्ष को अपना पक्ष स्पष्ट करने का उचित अवसर देने के पश्चात एक मौखिक आदेश पारित करेगा और परियोजना के लिए विनियम 6 की शर्तों के अनुसार उपयुक्त कंपनी के चयन के लिए कार्यवाही करेगा।
- (9) यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, बनाने प्रचालित करने अथवा उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देने हेतु कंपनी का चयन किया जाता है, तो-
- (क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ (प्रशुल्क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2008 के अंतर्गत नियत किया जाएगा;
- (ख) व्यक्ति/फर्म, सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्दिष्टियों हेतु संगत विनियमों के अंतर्गत यथा-निर्दिष्ट सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानकों, विनिर्दिष्टियों का पालन करेगी;
- (ग) लगने वाले अधिक समय एवं लागत, जिससे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, से बचने के लिए बोर्ड, कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, बनाने अथवा उसके विस्तार करने के कार्यकलापों में की गई वास्तविक प्रगति शुरू करने की अवधि, परियोजना के डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राधिकार के निर्बंधन एवं शर्तों के संदर्भ में तिमाही आधार पर निगरानी करेगा:
- परंतु यह कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रारंभ होने में अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट समय से आगे लक्ष्य पूरा करने में विलंब की स्थिति में बोर्ड के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियत करते समय ज्यादा समय लगने के कारण बढी हुई अतिरिक्त लागतों पर विचार नहीं करेगा जैसा कि उप-विनियम (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है;
- (घ) कंपनी, पहुंच कोड और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की घोषणा सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के रूप में करने के संबंध में संगत विनियमों के अंतर्गत उपबंधों का पालन करेगी;

(ड.) विनियम 8, 9, 13, 14, 15 और 16 के अंतर्गत उपबंध कंपनी के लिए लागू होंगे।

19. प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए समर्पित पाइपलाइनों से संबंधित उपबंध।

(1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान समर्पित पाइपलाइनों के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) नियत दिन से पूर्व विशिष्ट उपभोक्ता से प्राकृतिक गैस के परिवहन करने के लिए समर्पित पाइपलाइन रखने वाली व्यक्ति/फर्म, परियोजना के डीएफआर के साथ-साथ, पाइपलाइन की लंबाई, मार्ग, क्षमता और सेवित उपभोक्ताओं ग्राहकों का ब्यौरा इन नियमों की अधिसूचना के तीस दिन के अंदर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ख) बोर्ड, समर्पित पाइपलाइन का ब्यौरा वेबसाइट पर रख सकती है जिस पर आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त की गई हों, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी पाइपलाइन को लोकहित में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदले जाने की आवश्यकता है।

(ग) बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों की छानबीन के आधार पर समग्र लोकहित में उस कंपनी को इस प्रकार की पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने का निदेश दे सकता है:

परंतु यह कि उस कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जा जाएगा;

(घ) कंपनी अपनी समर्पित पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने के लिए अपना प्रस्ताव पूर्ण विवरण और औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा बोर्ड सामान्य जनता के मत जानने के लिए समर्पित पाइपलाइन के ब्यौरों को वेब पर डाल सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी पाइपलाइन को लोकहित में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने की जरूरत है तथा बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों की छानबीन के आधार पर और समग्र लोकहित में कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति जारी कर सकता है।

(2) नियत दिवस के बाद किसी भी समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के प्रस्ताव के संबंध में, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) नियत दिवस के बाद किसी विशिष्ट ग्राहक को प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए एक समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने के प्रस्ताव करने वाली कंपनी उस समर्पित पाइपलाइन को बिछाने और बनाने के प्रस्तावित प्रारंभ से कम से कम 30 दिन पहले परियोजना के डीएफआर के साथ पाइपलाइन की लंबाई, मार्ग, क्षमता तथा उन उपभोक्ताओं, जिन्हें ये सेवा दी गई, के ब्यौरे बोर्ड को देगा;
- (ख) बोर्ड प्रस्तावित समर्पित पाइपलाइन के ब्यौरे सामान्य जनता की टिप्पणियों के लिए वेब पर डालेगा ताकि ये जाना जा सके कि क्या एक समर्पित पाइपलाइन के स्थान पर एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बिछाने, बनाने, प्रचालित करने या उसका विस्तार करने में अधिक लोकहित होगा;
- (ग) यदि, प्राप्त टिप्पणियों की छानबीन के आधार पर, बोर्ड यह दृष्टिकोण बनाता है कि समर्पित पाइपलाइन के स्थान पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से लोकहित में वृद्धि होगी तो वह कंपनी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कंपनी को समुचित रूप से निर्देश देगा;
- (घ) यदि, खंड (ग) के अंतर्गत बोर्ड से निर्देश प्राप्त करने के बावजूद कंपनी एक समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने या उसका विस्तार करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह ऐसा कर सकता है:

परंतु यह कि उस कंपनी द्वारा एक समर्पित पाइपलाइन बनाने के साथ-साथ बोर्ड अपनी ओर से, एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने या उसका विस्तार करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने का फैसला कर सकता है:

परंतु उस कंपनी के उसकी समर्पित पाइपलाइन प्रारंभ की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए उसकी समर्पित पाइपलाइन को एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी;

- (ड.) कोई कंपनी ऐसी किसी समर्पित पाइपलाइन, जिसको बिछाने, बनाने, प्रचालित करने या उसका विस्तार करने के संबंध में बोर्ड द्वारा खंड (ग) के अधीन कोई

सलाह जारी नहीं की गई है, को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने के लिए बोर्ड के समक्ष कभी भी आवेदन दे सकता है तथा बोर्ड खंड (घ) के उप-विनियम (1) के तहत प्रक्रिया के अनुसार ऐसे परिवर्तन के लिए उस कंपनी को प्राधिकृत करने का निर्णय कर सकता है तथा खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट पांच वर्षों का अधिस्थगन काल प्रतिबंध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा;

(च) बोर्ड, नियत दिवस के बाद किसी समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, बनाने, प्रचालित करने या उसका विस्तार करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियानुसार उस कंपनी को समर्पित पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने के लिए निदेश दे सकता है, अर्थात्:-

- (i) बोर्ड समर्पित पाइपलाइन के ब्यौरे साधारण जनता के अभिमत जानने के लिए वेब पर डाल सकता है ताकि यह जाना जा सके कि क्या लोकहित में ऐसी पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने की जरूरत है;
- (ii) बोर्ड, प्राप्त अभिमतों के परीक्षण के आधार पर, व्यापक जनहित में उस कंपनी को ऐसी पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदलने हेतु निर्देश दे सकता है:

परंतु यह कि उस कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि किसी समर्पित पाइपलाइन को उप-विनियम (1) या (2), के तहत एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बदला जाता है, तो विनियम 18 के उप-विनियम (9) के अधीन उपबंध ऐसी पाइपलाइन के लिए लागू होंगे।

20. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तक पहुंच और अंतरसंयोजन।

कंपनी पहुंच कोड (एक्सेस कोड) का पालन करेगी तथा पहुंच कोड के लिए संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को अंतरसंयोजन की स्वीकृति देगा।

21. विविध

यदि इन विनियमों के उपबंधों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद होता है, तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

**अनुसूची क**  
[विनियम 4(1) और 5(6) देखें]

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कंपनी द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आवेदन-पत्र

- क. केवल वह कंपनी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 विनियम 5(6) में दिए गए न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करती है, बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन करने की पात्र होगी।
- ख. कंपनियों को न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करने से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अवश्य संलग्न करना चाहिए।
- ग. रुचि की अभिव्यक्ति देने वाली कंपनियां निम्नलिखित सूचना अवश्य दें:

1	सामान्य विवरण
क.	कंपनी का नाम
ख.	फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें)
ग.	निगमित होने की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता
2.	आधारभूत आंकड़े
क.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का मूल प्वाइंट और अंतिम प्वाइंट
ख.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का सांकेतिक मार्ग जिससे प्राकृतिक गैस इंजेक्शन प्वाइंट और संभावित/डिलीवरी प्वाइंटस नक्शे पर दर्शाए गए हों।
ग.	प्राकृतिक गैस उपलब्धता स्थिति
घ.	राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन के रास्ते प्राकृतिक गैस की संभावित मांग
ङ.	प्रस्तावित राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन में परियहन के लिए कुल गैस मात्रा का आकलन
च.	अन्य कोई मुद्दा जिसे कंपनी द्वारा संगत समझा जाए
3.	डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर नं० .....दिनांक.....<बैंक और शाखा का नाम> से बनवाकर..... के आवेदन शुल्क का भुगतान।

दिनांक:

स्थान:

कंपनी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर  
कार्यालय मोहर

## अनुसूची ख

[विनियम 5(7) देखें]

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्राधिकार के लिए आवेदन-सह-नीलामी

सेवा में,

सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड

प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ,

बाबर लेन, कर्नाट प्लेस,

नई दिल्ली-110 001

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत <प्रस्तावित मार्ग का नाम शुरूआती प्वाइंट से अंतिम प्वाइंट तक> प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-नीलामी

(जहां आवश्यक हो सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

भाग-1 -- कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी विवरण (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)	
1.	कंपनी का विवरण
क.	कंपनी का नाम
ख.	कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें और संस्था के अंतर्नियम या साझेदारी विलेख आदि, जैसा लागू हो, संलग्न करें)।
ग.	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता
ड.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोप्राइटरों के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा विवरण दें)।
2.	वित्तीय विवरण
क.	शेयर पूंजी या प्रोप्राइटर की स्वयं की निधियां, जैसा लागू हो ।

ख.	लिए गए ऋण की - राशि, अवधि, अधिस्थगन अवधि, ब्याज की दर और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए बंधक या मालबंधन रखी गई परिसम्पत्ति, यदि कोई हो।	
ग.	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थाई परिसम्पत्ति	
ङ.	वर्तमान परिसम्पत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ.	बिक्री कारोबार	
ज.	कर-पश्चात लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाते और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें) - यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के मूल कंपनी के लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाते और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें।	
3.	कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	कंपनी के सभी मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों विवरण, यदि कोई हो, इसमें डिजाइन विशिष्टताएं, संस्थापित क्षमता, पूंजी लागत, प्रचालन लागत का वार्षिक विवरण, स्थापना की तारीख, ग्राहक रूपरेखा के विवरण सहित गैस की मात्रा का परिवहन, मौजूदा सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाले मानचित्र और ड्राइंगें जिसमें मौजूदा सुविधाओं और भावी योजना का विवरण दिखाया गया हो, प्राकृतिक गैस स्रोत, वसूल किया जा रहा यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क, आदि शामिल हैं।	
ख	मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु किसी कंपनी के साथ किए गए समझौते या सहयोग का विवरण।	
ग	पिछले पांच वर्षों से प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण।	
4.	स्वामित्व और सम्बद्धता का विवरण	

क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	कंपनी की सभी सम्बद्ध संस्थाओं का विवरण, जिसमें कंपनी और सम्बद्ध संस्थाओं के बीच व्यावसायिक संबंध को बताया गया हो। ('सम्बद्ध' से अभिप्रेत संबंध आचरण संहिता के लिए संगत विनियमों में दी गई परिभाषा से है)।	
ग	कंपनी बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपने और अपनी कंपनियों के सभी संबंधित प्रलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है?	हां/नहीं
ङ.	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी द्वारा प्रमोट की गई है?	हां/नहीं
च.	यदि संस्था आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय कंपनी नहीं है तो प्राधिकार के लिए उसका चयन होने पर वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण की घोषणा करती है।	हां/नहीं
छ.	प्रमोटर्स की लैटर ऑफ कम्फर्ट के रूप में घोषणा पत्र, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि प्राधिकार मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना को दिए गए उनके वित्तीय योगदान को इक्विटी शेयर पूंजी में बदल दिया जाएगा। प्रमोटर्स के लैटर आफ कम्फर्ट संलग्न करें।	हां/नहीं
5.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का तकनीकी विवरण	
क.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का नाम	
ख.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का मार्ग दर्शाने वाले विस्तृत नक्शे जिनमें निम्नलिखित ब्यौरा हो: (क) प्रस्तावित मार्ग सहित दर्शाया गया शुल्क क्षेत्र (ख) प्रत्येक शुल्क क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक रूप से आने वाला जिला, नगर, शहर, तालुक या अन्य कोई क्षेत्र	

	(ग) प्रवेश और निकासी प्वाइंट (घ) स्पर लाइन (ड.) परस्पर संपर्क प्वाइंट (च) प्रस्तावित प्रमुख सुविधाओं का दर्शाया जाना, जैसे कंप्रेसर, टैप-आफ प्वाइंट, आदि	
ग.	परियोजना का तकनीकी विशेष विवरण, जिसके साथ डीएफआर और पाइपलाइन डिजाइन, दबाव, नेटवर्क की लम्बाई, पाइपलाइन का व्यास, पाइपलाइन की मोटाई, मार्ग, अपक्षय सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक गैस इंजेक्शन प्वाइंट, टॉपी निकालने के स्थान, मुख्य ब्लॉक बल्ब, मापने की व्यवस्था, एचएसई मापदण्ड आदि का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।	
घ.	प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए अभिकल्पित विकास योजना संलग्न करें, जिसमें सीजीडी नेटवर्क की डिजाइन और संस्थापित क्षमता, निर्धारित पूंजी व्यय योजना, प्रचालनों के चरण-वार शुरू होने की संभावित तिथियां और परियोजना को पूरा करने के संबंध में गतिविधियां या लक्ष्यों का विवरण दिया गया हो।	
ड.	निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित योजना - (i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में इंजेक्शन के लिए प्राकृतिक गैस का स्रोत (ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में चरण-वार क्षमता समझौता	
च	क्या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का डिजाइन तैयार करते समय सुरक्षा मानकों सहित विशिष्टियां जैसा कि तकनीकी मानकों और विशिष्टियों संबंधी संगत विनियमों के अंतर्गत तकनीकी मानकों, और विशिष्टियों पर विचार करके डिजाइन में शामिल किया गया है? कृपया पूरा विवरण दें।	हाँ/नहीं
छ	आपदा प्रबंधन योजना की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
ज	क्या परियोजना केन्द्र या राज्य सरकारों से किसी सांविधिक कर (आयकर सहित) से कोई राजसहायता, छूट, आस्थगन या माफी की पात्र	हाँ/नहीं

	हैं? यदि हां, तो कंपनी की वर्ष-वार उपयोग योजना की सूचना देते हुए पूरा विवरण दें।	
झ	विनियम 5(6) के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	/ ←-----> ₹0
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर की संख्या और दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	
ञ	बोली बंधपत्र	< > ₹0
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर की संख्या व दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	
भाग-11 : वित्तीय बोली (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत की जाए) उन्हीं कंपनियों के लिए खोली जाएगी जो विनियम 5(7) के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता मानदण्डों को पूरा करती हैं।		
क	परियोजना की मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष के लिए होगी) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्रथम टैरिफ जोन के लिए इस मानदण्ड के अंतर्गत यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली का मौजूदा मूल्य (पीवी)। [प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली परियोजना की प्रतिवर्ष मितव्ययी अवधि के लिए होगी]	परियोजना की मितव्ययी अवधि 12% छूट दर का लाभ रखते हुए प्रतिवर्ष के लिए यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली का वर्तमान मूल्य "....." रुपए प्रति एमएमबीटीयू है।  वर्ष-वार प्रथम टैरिफ जोन के लिए प्रतिवर्ष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इकाई टैरिफ बोली:-  1 वर्ष: <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू  2 वर्ष <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू  .  .  25 वर्ष: <.....> ₹0 प्रति एमएमबीटीयू
ख	इस मानदण्ड के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली जिसे खण्ड क के अंतर्गत परियोजना की मितव्ययी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली इकाई के साथ जब गुणा किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन की तुलना में द्वितीय	<.....> % वृद्धि बोली

	टैरिफ जोन के लिए उत्तरोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का पता चलता है। [एक नम्बर की बोली लगाई जाएगी]।	
ग	<p>इस मानदण्ड के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली जिसे खण्ड ए के अंतर्गत परियोजना की मितव्ययी अवधि को जब प्रत्येक वर्ष की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली इकाई के साथ और खण्ड बी के अंतर्गत प्रतिशत बोली के साथ गुणा किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के द्वितीय टैरिफ जोन की तुलना में तृतीय टैरिफ जोन की उत्तरोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बी का निर्धारण होगा।</p> <p>बशर्ते कि प्रत्येक उत्तरोत्तर टैरिफ जोन के लिए परियोजना की मितव्ययी अवधि की प्रतिवर्ष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में उत्तरोत्तर वृद्धि को इस मानदण्ड के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली को प्रतिवर्ष के तत्काल पूर्व टैरिफ जोन की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इकाई में उत्तरोत्तर वृद्धि से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा। [एक सौ प्रतिशत से कम एक नम्बर की बोली लगाई जाएगी]।</p>	<.....> % वृद्धि बोली
घ	परियोजना की मितव्ययी अवधि की तुलना में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की प्रस्तावित मात्रा (मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन) का वर्तमान मूल्य। [परियोजना की मितव्ययी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन किए जाने के लिए प्राकृतिक गैस की मात्रा बोली]।	<p>परियोजना की मितव्ययी अवधि की तुलना में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की प्रस्तावित मात्रा के वर्तमान मूल्य पर बारह प्रतिशत अर्थात् &lt;____&gt; मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) की छूट होगी।</p> <p>वर्ष-वार प्राकृतिक गैस मात्रा बोली:-</p> <p>1 वर्ष: &lt;.....&gt; ₹0 एमएमएससीएमडी</p> <p>2 वर्ष &lt;.....&gt; ₹0 एमएमएससीएमडी</p> <p>25 वर्ष: &lt;.....&gt; ₹0 एमएमएससीएमडी</p>

**टिप्पणी :**

कृपया विनियम 7 के उप-विनियम (3) के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की अनुमोदित डीएफआर की एक प्रति संलग्न करें।

**घोषणा**

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन-सह-बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट, संलग्नक और गणना शीट में दिए गए आंकड़े और सूचना सही पूर्ण और सत्य हैं और यदि इनमें दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवेदन-सह-बोली निरस्त कर दी जाएगी, आवेदन-शुल्क और बोली बंधपत्र जब्त कर लिए जाएंगे और मैं/हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई और दण्ड के हकदार होंगे।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत की गई है जो उपर्युक्त है और इस नगर अथवा स्थानीय क्षेत्र के लिए मेरे/हमारे द्वारा अलग से कोई भी दूसरा आवेदन-सह-बोली पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर  
कार्यालय मोहर

**आवेदन-सह-बोली भरने के लिए अनुदेश**

1. फार्म और संलग्न दस्तावेजों की सभी प्रविष्टियां पठनीय हों और उनमें कोई काट-छांट न की गई हो।
2. अपेक्षित विवरण अलग से संलग्न किए जा सकते हैं जिस मद के लिए इन्हें संलग्न किया गया है उसका स्पष्ट संदर्भ देना चाहिए।
3. आवेदन-सह-बोली और अनुलग्नकों व विवरणों के सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए तथा उन पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा नोटेरी के माध्यम से अधिकार पत्र दिए हुए प्राधिकारी के आयाक्षर किए जाने चाहिए।
4. आवेदन-सह-बोली में दी गई सूचना की अभिपुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रमाण संलग्न करने चाहिए।
5. कंपनी को मूल के साथ-साथ आवेदन-सह-बोली की सभी संलग्नकों सहित अपेक्षित तीन(दो हार्डकॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी) साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
6. अपूर्ण आवेदन-सह-बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

## अनुसूची ग

[विनियम 7(4) और विनियम 7 के उप-विनियम (1) के (क) से (ग) के अंतर्गत स्पष्टीकरण देखें]

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्राधिकार देने हेतु सफल बोली को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम संयुक्त स्कोर निर्धारित करने के आधार का उदाहरण

विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) से (घ) के अंतर्गत उल्लिखित बोली मानदण्डों के आधार पर सफल बोली का निर्धारण करने के लिए आइए तीन कंपनियां लेते हैं जिनकी बोलियां की तुलना की जानी है-

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्रथम टैरिफ जोन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली

देखें,

टी1 = पहली कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली का वर्तमान मूल्य

टी2 = दूसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बोली का वर्तमान मूल्य

टी3 = तीसरी कंपनी द्वारा 25 वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली का वर्तमान मूल्य

मान लीजिए टी1 टी2 से कम है और टी2 टी3 से कम है।

प्रथम टैरिफ जोन (एलटी1) हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली के न्यूनतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और प्रथम टैरिफ जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली के वर्तमान मूल्य को एलटी1 के संबंध में यथानुपात आधार पर निम्नानुसार अंक दिया जाएगा:-

$$\text{एलटी 1} = 100\%$$

$$\text{एलटी 2} = 100\% \times (\text{टी1} + \text{टी2})$$

$$\text{एलटी 3} = 100\% \times (\text{टी1} + \text{टी3})$$

- ख) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली को विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत परियोजना की मितव्ययी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली इकाई के साथ गुणा करने पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम टैरिफ जोन की तुलना में द्वितीय टैरिफ जोन के लिए उत्तरोत्तर इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण होगा।

देखें,

पीएफ1= पहली कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

पीएफ2= दूसरी कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

पीएफ3= तीसरी कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

मान लीजिए पीएफ1, पीएफ2 से अधिक है और पीएफ2, पीएफ3 से अधिक है।

न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि बोली (पीएफ3) को 100% अंक दिए जाएंगे और अन्य प्रतिशत वृद्धि बोली को एलपीएफ3 के यथानुपात आधार पर निम्नानुसार अंक दिए जाएंगे:-

$$\text{एलपीएफ1} = 100\% \times (\text{पीएफ3} + \text{पीएफ1})$$

$$\text{एलपीएफ2} = 100\% \times (\text{पीएफ3} + \text{पीएफ2})$$

$$\text{एलपीएफ3} = 100\%$$

- ग) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली को विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत परियोजना की मितव्ययी अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ बोली इकाई तथा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली के साथ गुणा करने पर प्रत्येक वर्ष के तत्काल पूर्व टैरिफ जोन के लिए इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

बशर्त कि प्रत्येक उत्तरोत्तर टैरिफ जोन के लिए परियोजना की मितव्ययी अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में उत्तरोत्तर वृद्धि का निर्धारण विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि को प्रत्येक वर्ष के तत्काल पूर्व टैरिफ जोन हेतु यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ गुणा करके किया जाएगा।

देखें,

पीएस1= पहली कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

पीएस2= दूसरी कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

पीएस3= तीसरी कंपनी द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि बोली

मान लीजिए पीएस1, पीएस2 से अधिक है और पीएस2, पीएस3 से अधिक है।

न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि बोली (पीएस3) को 100% अंक दिए जाएंगे और अन्य प्रतिशत वृद्धि बोली को एलपीएस3 के यथानुपात आधार पर निम्नानुसार अंक दिए जाएंगे:-

$$\text{एलपीएस1} = 100\% \times (\text{एलपी3} + \text{एलपी1})$$

$$\text{एलपीएस2} = 100\% \times (\text{एलपी3} + \text{एलपी2})$$

$$\text{एलपीएस3} = 100\%$$

(घ) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत मितव्ययी अवधि की तुलना में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित प्राकृतिक गैस मात्रा (एमएमएससीएमडी) के लिए बोली

देखें,

वी1 = परियोजना की मितव्ययी अवधि की तुलना में पहली कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित बोली की मात्रा का वर्तमान मूल्य।

वी2 = परियोजना की मितव्ययी अवधि की तुलना में दूसरी कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित बोली की मात्रा का वर्तमान मूल्य।

वी3 = परियोजना की मितव्ययी अवधि की तुलना में तीसरी कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित बोली की मात्रा का वर्तमान मूल्य।

मान लीजिए वी1 वी2 से कम है और वी2 वी3 से कम है।

परिवहन की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा के उच्चतम वर्तमान मूल्य (एचपीवी3) को 100% अंक दिए जाएंगे और अन्य मात्रा बोली का वर्तमान मूल्य एचपीवी3 के संबंध में यथानुपात आधार पर अंक दिए जाएंगे:

$$\text{एचपीवी1} = 100\% \times (\text{एचपीवी1} + \text{एचपीवी3})$$

$$\text{एचपीवी2} = 100\% \times (\text{एचपीवी2} + \text{एचपीवी3})$$

$$\text{एचपीवी3} = 100\%$$

अब तीनों कंपनियों के संयुक्त स्कोर की गणना प्रत्येक बोली मानदण्ड के निर्दिष्ट भार को लेकर की जाएगी जो निम्नानुसार होगी:

$$\text{कंपनी 1} + 0.40 \times \text{एलटी1} + 0.20 \times \text{एलपीएफ1} + 0.10 \times \text{एलपीएस1} + 0.30 \times \text{एचपीवी1}$$

$$\text{कंपनी 2} + 0.40 \times \text{एलटी2} + 0.20 \times \text{एलपीएफ2} + 0.10 \times \text{एलपीएस2} + 0.30 \times \text{एचपीवी2}$$

$$\text{कंपनी 3} + 0.40 \times \text{एलटी3} + 0.20 \times \text{एलपीएफ3} + 0.10 \times \text{एलपीएस3} + 0.30 \times \text{एचपीवी3}$$

दिप्पणी:

इस उदाहरण के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई छः सौ कि.मी. से अधिक है।

जिस कंपनी का संयुक्त स्कोर अधिकतम होगा, उसी को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

विभिन्न टैरिफ जोन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ की गणना करने के लिए उदाहरण।

यह मानते हुए कि कंपनी 2 का संयुक्त स्कोर अधिकतम है और इस कंपनी का प्राधिकार के लिए चयन किया जाता है, पहले वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और तत्पश्चात् टैरिफ जोन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

प्रथम टैरिफ जोन =	पहले वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु टैरिफ बोली
द्वितीय टैरिफ जोन =	पहले वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु टैरिफ बोली X [1 + पीएफ2/100]
तृतीय टैरिफ जोन =	पहले वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु टैरिफ बोली X [1 + पीएफ2/100 + (पीएफ2/100) X (पीएस2/100)]
चतुर्थ टैरिफ जोन =	पहले वर्ष के लिए प्रथम टैरिफ जोन हेतु टैरिफ बोली X [1 + पीएफ2/100 + (पीएफ2/100) X (पीएस2/100) + (पीएफ2/100) X (पीएस2/100) 2]
..... आदि	

**अनुसूची घ**  
(विनियम 9(1) और 18(7) देखें)

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना

सेवा में,

<सफल बोलीदाता कंपनी का नाम>

<पता>

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अंतर्गत <शुरुआती प्वाइंट का नाम, जिस राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में बिछाई जानी है; उसका नाम तथा अंतिम प्वाइंट का नाम> के मार्ग सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना।

महोदय/महोदया,

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देने जिसमें शुरुआती प्वाइंट का नाम, जिस राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में बिछाई जानी है, उसका नाम तथा अंतिम प्वाइंट का नाम शामिल हो, संबंधी आपके आवेदन के संदर्भ में आपको प्राधिकार देने का निर्णय लिया गया है बशर्त कि निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के अंतर्गत प्रावधान हो, अर्थात् :-

1. प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत क्षेत्र के मार्ग के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के <मूल प्वाइंट का नाम>, <आंतरिक टैप ऑफ और अंतर-संपर्क प्वाइंट>, <स्पर लाइन का नाम> और <अंतिम डिलीवरी प्वाइंट> संलग्न नक्शे में दर्शाए अनुसार हो।
2. कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण या उसका विस्तार करने के कार्यकलापों को पूरा करेगी और संलग्न समय अनुसूची तथा लक्ष्यों के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना करेगी। कंपनी को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की स्थापना के लिए प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से छत्तीस महीने की अधिकतम अवधि की अनुमति दी जाती है। समय अनुसूची में निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन करने में असफल रहने पर कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 16 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार परिणाम भुगतना होगा।

3. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता < \_\_\_\_\_ > मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के बराबर होगी।
4. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खण्ड (जे) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार < \_\_\_\_\_ > एमएमएससीएमडी के बराबर होगी और मुक्त पहुंच एवं बिना किसी भेदभाव के तृतीय पक्ष द्वारा सामान्य वाहक आधार पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी।
5. प्राधिकृत कंपनी को परियोजना के लिए धन प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की परिसंपत्तियों के पुनर्ग्रहणाधिकार अथवा रेहन के लिए बोर्ड से पूर्वामोदन प्राप्त करना होगा। तथापि, किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से धन लेने की स्थिति में संस्था को 7 दिनों की अवधि के भीतर निधियों की स्वीकृति के संबंध में केवल सूचित करना होगा।
6. कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रत्येक टैरिफ जोन के लिए अनुमोदित टैरिफ का प्रकाशन करेगी।
7. कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 9 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड को एक विस्तृत और स्पष्ट वित्तीय समाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
8. < \_\_\_\_\_ > मिलियन रुपए का निष्पादन बांड प्रस्तुत करना बोली में प्रस्तुत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समय पर परियोजना चालू करने के लिए और परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान कार्य-निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी के रूप में होगा।
9. कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्वों तथा विनियम 15 के अधीन सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन करेगी।
10. यदि कंपनी का प्राधिकार समाप्त कर दिया जाता है तो बोर्ड उस कंपनी के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उन शर्तों और निबंधनों पर किसी एजेंसी अथवा दूसरी फर्म को सौंप सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। इसके अलावा, कंपनी को बोर्ड के निर्देशानुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन तब तक आगे जारी रखने होंगे जब तक कि बोर्ड द्वारा नियुक्त दूसरी एजेंसी अथवा फर्म सीजीडी नेटवर्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले ले।
11. कंपनी निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करेगी -
  - (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना)

विनियम 2008।

- (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम 2008.
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 की अनुसूची जे में विनिर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्व;
- (घ) निम्नलिखित के लिए संगत विनियम -
- (i) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां;
  - (ii) पहुंच कोड;
  - (iii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए क्षमता का निर्धारण;
  - (iv) संबद्ध आचार-संहिता;
  - (v) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषणा करना।
- (ड.) अन्य कोई लागू विनियम तथा अधिनियम के प्रावधान।

12. कंपनी किसी ऐसी अन्य शर्त अथवा निबंधन का पालन भी करेगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर लोकहित अधिसूचित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि नीचे दी गई जगह में अपनी स्वीकृति की पुष्टि करें और मूल रूप से इसे वापिस भेज दें।

भवदीय,

दिनांक :

हस्ता/-

अधिकारी का नाम और पदनाम  
पीएनजीआरबी की ओर से  
कार्यालय की मुहर

**प्राधिकार स्वीकार करना**

में/हम एतद्वारा बोर्ड के संदर्भ < \_\_\_\_\_ > दिनांक < \_\_\_\_\_ > द्वारा जारी प्राधिकार पत्र को स्वीकार करता हूँ/करते हैं और उन सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं जिसके अधीन मुझे/हमें < \_\_\_\_\_ > राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में < \_\_\_\_\_ > मार्ग सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकार मिला है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
नाम और कार्यालय की मुहर

अनुसूची-ड.  
(विनियम 13 (1) देखें)

प्राधिकृत कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर डेटा प्रस्तुत करना

क. निम्नलिखित रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित डेटा/सूचना का बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा:-

- (1) कंपनी द्वारा परियोजना की स्थापना सहित की गई वास्तविक प्रगति तथा डीएफआर में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य;
- (2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा बनाम बोली में प्रतिबद्ध संख्या।

ख. प्रगति मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हों की सूचना तुरंत समाधान के लिए वार्षिक आधार पर भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी विलंब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (स्थानीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 16 के अधीन विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगे।

क	प्राधिकृत कंपनी का नाम	
ख	परियोजना का नाम	
ग	प्राधिकार देने की तारीख	
घ	प्रचालन शुरू करने की तारीख	
ड.	कंपनी के स्वामित्व के गठन का विवरण (कृपया मिन्नता का विवरण दें, यदि प्राधिकार की तारीख से कोई हुआ हो)	
च	कंपनी संबद्ध आचार संहिता के लिए संगत विनियमों का पालन करेगी।  <u>टिप्पणी :</u> बोर्ड को ऐसी किसी सूचना अथवा डेटा मांगने का अधिकार होगा जिसे वह उपयुक्त समझे ताकि यह कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुपालन से संतुष्ट रहे।	

	सूचना और डेटा	तिमाही के लिए	वर्ष के लिए संचयी
छ	वित्तीय ब्यौरा (मिलियन रूपए में)		
1	पूंजीगत निवेश		
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
	आद्यशेष		
	प्रत्यक्ष जमा		
	पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) से अंतरण		
	लोप, यदि कोई हो		
	अंतशेष		
	(ख) सीडब्ल्यूआईपी		
	आद्यशेष		
	प्रत्यक्ष जमा		
	स्थायी परिसंपत्तियों में स्थानांतरण		
	लोप, यदि कोई हो		
	अंतशेष		
2	प्रचालन खर्च		
	(क) उपभोज्य तथा रसायन		
	(ख) सुविधाएं- बिजली और ईंधन		
	(ग) वेतन		
	(घ) मरम्मत और अनुरक्षण		
	(ड.) सामान्य प्रशासन खर्च (च) बीमा		
	(च) बीमा		
	(छ) कोई अन्य खर्च (विवरण दें)		
3	वित्तीय खर्च		
	(क) कार्यपूंजी ऋणों पर ब्याज (डब्ल्यूसीबी)		
	(ख) आवधिक ऋणों पर ब्याज		
4	मूल्य ह्रास		
5	अर्जित राजस्व		
	(क) प्राकृतिक गैस का परिवहन		
	(ख) प्राकृतिक गैस का विपणन		

	(ग) अन्य आय-ब्याज आदि		
6	ऋणों की स्थिति		
	(क) आवधिक ऋण		
	शुरू किए गए		
	जोड़े गए		
	अदायगी		
	समापन (क्लोजिंग)		
	(प्रत्येक ऋण का विवरण दें - ब्याज की दर, ऋण स्थगन, अवधि, ऋण अवधि, निबंधन एवं शर्तें, आदि)		
	(ख) कार्य पूंजी ऋण		
	शुरू किए गए		
	जोड़े गए		
	पुनर्भुगतान किए गए		
	समापन (क्लोजिंग)		
	(प्रत्येक ऋण का विवरण दें- ब्याज की दर, ऋण स्थगन, अवधि, शर्तें आदि)		
7	प्रभारित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ		
	(क) जोन-वार प्रभारित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ (रूपए/एमएमबीटीयू)		
	(ख) प्रत्येक टैरिफ जोन में ग्राहक-वार दी गई प्राकृतिक गैस की मात्रा (एमएमएससीएमडी और एमएमबीटीयू के बराबर दोनों में)		
	(ग) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ प्रभारित जोन-वार राशि (रूपए मिलियन में)		
ज	भौतिक विवरण		
1	(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की जाने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा (ख) बोली में प्रतिबद्ध मात्रा और डीएफआर में उल्लिखित (ग) कारणों सहित (क) बनाम (ख) में भिन्नता (घ) प्रत्येक डिलीवरी प्वाइंट पर ग्राहक-वार सुपुर्दगी मात्रा  (मात्रा एमएमएससीएमडी और एमएमबीटीयू में दी जाए तथा दर्शाई गई समकक्ष ऊर्जा के आधार का पालन किया		

	जाए)		
2	प्राकृतिक गैस का ताप मूल्य उपलब्ध कराया जाए (प्रति एससीएम एमएमबीटीयू में):		
	(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में इंजेक्शन या रि-इंजेक्शन या परस्पर-संपर्क का प्रत्येक प्वाइंट;		
	(ख) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्रत्येक सुपुर्दगी प्वाइंट;		
3	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लम्बाई (कि.मी. में)		
	(क) अंतिम तिमाही तक		
	(ख) वर्तमान तिमाही में बिछाए गए और निर्मित		
	(ग) तिमाही के अंत में लंबाई *		
	(बाहरी व्यास और दर-वार दबाव का ब्यौरा दिया जाए)		
4	कंप्रेसरों, मध्यवर्ती टर्मिनलों और सुपुर्दगी टर्मिनलों की संख्या		
	(क) अंतिम तिमाही तक		
	(ख) अब जोड़ा गया		
	(ग) आज की तारीख को योग		
5	परियोजना पूर्ण स्थिति - वास्तविक उपलब्धि बनाम अनुमोदित अनुसूची के अनुसार (% अनुसार)		
	(प्राधिकार प्रदान करने की अनुमोदित समय अनुसूची के अनुसार प्रत्येक लक्ष्य का ब्यौरा तथा इसके अपवर्तन के कारण, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएं)		
6	कोई अन्य सूचना अथवा डेटा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हो अथवा कंपनी द्वारा संगत समझी गई हो		

दिनांक :

स्थान :

कंपनी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
नाम और कार्यालय की मुहर

टिप्पणी :

उपर्युक्त फॉर्म में सूचना और डेटा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

**अनुसूची- च**  
(विनियम 15(1) देखें)  
सेवा मानकों की गुणवत्ता

**सामान्य**

सेवा मानकों की गुणवत्ता विनिर्दिष्ट करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अन्य कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने में कंपनी से अपेक्षित निष्पादन न्यूनतम स्तर को विनिर्दिष्ट करना है। कंपनी सेवा मानकों की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों जैसे पणधारियों के साथ संतोषपूर्ण तरीके से कार्य करने में समर्थ हो, से कतिपय न्यूनतम उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। जहां प्राधिकृत कंपनी को सेवा मानकों की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा वहां इसे उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उत्तरदायित्वों का व्यापक विज्ञापन करना होगा और उसे उचित तौर पर संविदाओं में अंतर्विष्ट करना होगा। सेवा मानकों की गुणवत्ता नीचे दी गई है :-

**1. तंत्र अनुरक्षण और उपभोक्ता वर्गीकरण**

**(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :**

- (क) समय-समय पर सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार तंत्र का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में आपूर्तियों के व्यवधान के मामले में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में लाइन पैक मात्रा के लिए नगर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं में प्राकृतिक गैस की आपूर्तियों में रुकावट के संबंध में एक विशिष्ट धारा होनी चाहिए;

- (ग) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता को बनाए रखना।

## (2) उपभोक्ताओं का उत्तरदायित्व :

- (क) परिसर के भीतर फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (ख) गैस उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट करना और उस कनेक्शन पर उसका उपयोग सुनिश्चित करना।

## 2. कनेक्शन के लिए अनुरोध

कंपनी का उत्तरदायित्व:

- (क) प्राधिकार मिलने के बाद कंपनी को प्राधिकृत क्षेत्र के अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने और उसका विस्तार करने के लिए जनसाधारण की सूचना के लिए समाचार-पत्र तथा अपनी वेबसाइट में इसका प्रकाशन करना चाहिए;
- (ख) उपभोक्ता के परिसर में शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराना और उसमें आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना;

## 3. मीटरिंग और बिलिंग

कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) प्राकृतिक गैस की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार, जो मीटरर्ड है;
- (ख) ग्राहकों को कंपनी की मीटरिंग यूनिट की विशिष्टियों के बारे में जानकारी देना;
- (ग) सही मीटर रीडिंग सुनिश्चित करना, और यदि ग्राहक मांग करते हैं -
  - (i) कंपनी की मीटरिंग यूनिट के अनुसार रीडिंग का ग्राहक की मीटरिंग यूनिट, यदि कोई हो, के अनुसार आवधिक समायोजन करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना;
  - (ii) कंपनी की मीटरिंग यूनिट के अनुसार संयुक्त मीटर रीडिंग उपलब्ध कराना;
- (घ) संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लागू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को दर्शाते हुए प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करना। बिल में ग्राहक का नाम और पता, क्रम संख्या, मात्रा (एमएमबीटीयू

और एससीएम दोनों में), कर/शुल्क, यदि कोई हो, राशि, यथोचित तारीख, आदि भी होनी चाहिए;

4. आपूर्ति हटाना

कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) कनेक्शन हटाने से पहले विस्तार में कारण बताते हुए उपयुक्त नोटिस देना;
- (ख) यदि लोक सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा हो, तो तुरंत कनेक्शन हटाना।

5. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में बाधाएं

कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) नियोजित अनुरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को समय नोटिस देना;
- (ख) बाधा आने पर शीघ्रतिशीघ्र आपूर्तियों को बहाल करना सुनिश्चित करना; और
- (ग) अनियोजित बाधाओं से तुरंत वसूली सुनिश्चित करना;

6. आपातकालीन स्थिति से निपटना :

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार एक योजना सुनिश्चित करें -

- (i) पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों के साथ तालमेल बनाकर आपातकालीन स्थितियों का मुकाबला करें;
- (ii) आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन कक्ष में चौबीसों घंटे सातों दिन एक व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें;
- (iii) आपातकालीन स्थितियों में व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाएं बताते हुए एक स्पष्ट उत्तरदायित्व चार्ट बनाएं;

(ख) आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिसकी एक प्रति बोर्ड तथा नगर या क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए, जहां से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजर रही है।

(2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :

(क) किसी ज्यादा खतरनाक स्थिति के बारे में यथाशीघ्र कंपनी को सूचित करें;

(ख) आपातकालीन स्थिति पर काबू पाने के लिए, यदि अपेक्षित हो, कंपनी के कार्मिक की सहायता करें।

7. सूचना प्रसार और उपभोक्ता जागरूकता :

कंपनी का उत्तरदायित्व :

(क) पाइपलाइनों के मार्ग, क्षमताओं और प्राकृतिक गैस के दबाव, कैलोरिफिक क्षमता जैसे विनिर्देशनों के बारे में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएं;

(ख) उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के जरिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना-

(1) प्राकृतिक गैस के उपयोग से उत्तम परिणाम हासिल करने के लिए उपस्कर के बर्नर कन्फिग्रेशन की उपयुक्तता;

8. डेटाबेस का अनुरक्षण

कंपनी का उत्तरदायित्व :

बोर्ड की डेटा आवश्यकताओं और प्राप्त हुई उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र बनाना।

**अनुसूची-छ**  
[विनियम 16(1) (घ) देखें]

**प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्राधिकार की समाप्ति की प्रक्रिया**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचलन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा चूक करने पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने हेतु कंपनी के प्राधिकार को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया इस प्रकार है -

1. बोर्ड द्वारा प्राधिकार को समाप्त करने का अनुमोदन देने पर कंपनी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, निवेश, देयताओं में चल रहे क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण और ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा निर्देशित हो, प्रस्तुत करनी होगी;
2. कंपनी को तब तक उसी स्तर पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन जारी रखना होगा जब तक कि बोर्ड के निर्णयानुसार अन्य एजेंसी अथवा कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले लें। बोर्ड के पास प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रबंधन और प्रचालन के लिए किसी अन्य एजेंसी अथवा फर्म को उस समयावधि तक और उन शर्तों और निबंधनों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिन्हें यह उपयुक्त समझे;
3. बोर्ड, एक विज्ञापन जारी करने के माध्यम सहित किसी ऐसे तरीकों, जिसे वह उपयुक्त समझे, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रबंधन और प्रचालन का कार्य अपने हाथ में लेने की इच्छुक कंपनियों से बोलियाँ अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सकता है;
4. अभिरुचि की अभिव्यक्ति अथवा बोलियाँ, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होने पर बोर्ड मूल्यांकन और उसके पश्चात् प्राधिकार देने संबंधी प्रक्रिया पर उपयुक्त विचार कर सकता है और दोषी कंपनी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन अपने हाथ में लेने के लिए कंपनी का चयन कर सकता है;
5. दोषी कंपनी को किसी ऐसे दायित्व, जो उसके पिछले कार्यों के परिणामस्वरूप बाद में सामने आएँ, के लिए नई प्राधिकृत फर्म को मुआवजा देने का वचनपत्र देना होगा।

**अनुसूची-ज**  
(विनियम 17(1) देखें)

निर्धारित दिन से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना।

सेवा में  
सचिव,  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,  
पहला तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
बाबर लेन, कनॉट प्लेस,  
नई दिल्ली - 110 001

विषय: <मूल प्वाइंट> से <अंतिम सुपर्दगी प्वाइंट> तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन <नाम> के संबंध में सूचना।

(सूचना प्रदान करने हेतु यदि आवश्यक हो, अलग शीट संलग्न करें)

भाग-1 - कंपनी का सामान्य, तकनीकी और वित्तीय ब्यौरा तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना	
1.	कंपनी का ब्यौरा
क	कंपनी का नाम
ख	फर्म का प्रकार - पब्लिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म साझेदारी दस्तावेज, आदि अन्य (कृपया संगम-जापन की एक प्रति संलग्न करते हुए विनिर्दिष्ट करें।
ख	निगमन की तिथि और व्यवसाय शुरू करने की तिथि
ग	पंजीकृत कार्यालय का पता
घ	सभी निदेशको/साझेदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, टेलिफोन नम्बर, ई-मेल पते कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड साइन पूरा विवरण दे।
ड.	निर्धारित दिन से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा उसका विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार का पूरा ब्यौरा। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त समझे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्रों; अनुमतियों, आदि का विवरण। (प्राधिकारी और अन्य

	दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाए)।	
2	वित्तीय ब्यौरा।	
क	शेयर पूंजी/स्वामी की अपनी निधियां	
ख	ऋण-राशि, अवधि, ऋण स्थगन अवधि, ब्याज दर, किससे लिया और उसे प्राप्त करने के लिए रहन रखी गई परिसंपत्ति यदि कोई हो।	
ग	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थायी परिसंपत्ति	
ड.	वर्तमान परिसंपत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ	बिक्री कारोबार	
ज	कर पश्चात लाभ	
	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य पत्रों की प्रतियां। यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है तो मूल कंपनी की गत तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य-पत्रों की प्रतियां (संलग्न करें)।	
3	फर्म की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	संस्थापन वर्ष के साथ परिसंपत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ की प्रचालन लागत का विस्तृत ब्यौरा, आदि।	
ख.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ किए गए तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक सहयोग अथवा करार का ब्यौरा।	
ग	किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण जो प्रवर्तक द्वारा गत तीन वर्षों से चलाया जा रहा हो।	
4	स्वामित्व और संबद्धता विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	व्यावसायिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कंपनी से संबंध संस्थाओं का विवरण। (संबद्ध का आशय जैसा संबद्ध आचरण संहिता के संगत विनियमों में परिभाषित किया गया है)।	

ग	कंपनी अपने और अपनी संबंधित कंपनियों के सभी संगत रिकार्ड और दस्तावेज बोर्ड मांग पर प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ.	कंपनी संबद्ध आचरण संहिता के लिए संगत विनियम का पालन करने का वचन देती है।	हां/नहीं
ड.	क्या फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कंपनी है?	हां/नहीं
च	क्या फर्म को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी द्वारा विकसित किया गया है?	हां/नहीं
छ	कंपनी प्राधिकार देने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत निगमित निकाय बनने का वचन देती है (यदि सूचना देते समय कंपनी निगमित निकाय नहीं है)।	हां/नहीं
5	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का तकनीकी ब्यौरा	
क	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम	
ख	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग को दर्शाने वाला भौतिक नक्शा जिसमें सभी स्पर-लाइनें, प्राकृतिक गैस के लिए प्रवेश और निकास प्वाइंट तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परस्पर-संपर्क के प्रस्तावित प्वाइंट शामिल हैं।	
ग	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में अवसंरचना की तकनीकी विषिष्टियां  <u>टिप्पणी:</u>  (क) निवेश के प्रबंधन अनुमोदन सहित डीएफआर की प्रति संलग्न करें। (ख) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन डिजाइन, दबाव दर, व्यास, मोटाई, वर्ग, आदि, मार्ग ब्यौरा, पाइपलाइन हास सुरक्षा प्रबंधन, प्रमुख ब्लॉक वाल्व, पृथक वाल्व, आपातकाल शटडाउन वाल्व, मीटरिंग व्यवस्था, कंप्रेसरों, मध्यवर्ती और डिलीवरी स्टेशन, तकनीकी मानक और विशिष्टियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं जिसमें सुरक्षा मानदण्डों का पालन किया जा रहा है, आदि।	

घ.	<p>प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए परिकल्पित विकास योजना - प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की डिजाइन और स्थापित क्षमता तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए फेज ऑउट योजनाओं का ब्यौरा तथा पूंजीगत व्यय उपलब्ध कराया जाए।</p>	
ड.	<p>क्या कंपनी ने नियुक्ति की तारीख को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए अपेक्षित मार्ग आधार प्राप्त कर लिया है?</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>(क) यदि उत्तर न है तो कृपया विशिष्ट कारण दें। (ख) यदि हाँ, तो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराया जाए।</p>	हाँ/नहीं
च	<p>कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त वर्ष-वार प्रगति:</p> <p>(i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में भौतिक ढांचे का सृजन;</p> <p>(ii) शीर्षवार सृजित नियत परिसंपत्ति का मूल्य तथा नियुक्ति की तारीख तक सृजित भौतिक ढांचे से संबंधित पूंजीगत कार्य प्रगति; और</p> <p>(iii) परियोजना के डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों में दर्शाए स्तर के साथ उप-खण्ड (i) और (ii) तथा प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों की तुलना। इसका उद्देश्य अधिक समय या अधिक लागत से बचना है जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>(क) शीर्ष-वार सृजित परिसंपत्तियों का दस्तावेजी साक्ष्य जिन्हें बही खातों में नियत परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया हो, को संलग्न किया जाए।</p> <p>(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के संबंध में पूर्णतः का स्तर दर्शाया गया तथा उसकी डीएफआर में दर्शाए अनुसार के साथ तुलना की जाए।</p>	समय अनुसूची तथा डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में प्रतिशत पूर्णता कार्यकलाप-वार सूचित की जाए।

	<p>(ग) नियुक्ति की तारीख को कंपनी द्वारा वास्तव में की गई वित्तीय वचनबद्धता को अलग से दर्शाया जाए तथा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं।</p> <p>(घ) कृपया समय अनुसूची को पूरा करने में कमी, यदि कोई हो, के विशिष्ट कारण बताएं तथा डीएफआर में विनिर्दिष्ट अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य बताएं।</p>	
छ	<p>प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्राकृतिक गैस के स्रोत हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं। यदि कंपनी ने कोई सुदृढ समझौता किया है तो समझौते की प्रतियां संलग्न की जाएं।</p>	
ज	<p>(i) नियुक्ति की तारीख तक गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में वास्तव में परिवहन की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा।</p> <p>(ii) डीएफआर में अनुमानित मात्रा की तुलना में परिवहन की गई वास्तविक मात्रा में अन्तर के कारण।</p> <p>(iii) परियोजना की मितव्ययी लागत अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर परिवहन की गई और बेचने के लिए प्रस्तावित प्राकृतिक गैस की मात्रा।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>(क) एमएमएससीएमडी और एमएमबीटीयू में दर्शाई जाने वाली मात्रा तथा ऊर्जा समकक्ष का आधार उपलब्ध कराया जाए।</p> <p>(ख) वास्तव में परिवहन की जाने वाली मात्रा जिसे प्रत्येक टैरिफ जोन में ग्राहक-वार उपलब्ध कराया जाना है।</p> <p>(ग) कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए क्षमता समझौता प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले प्रबंधन का ब्यौरा।</p>	

	(घ) सुदृढ क्षमता समझौते की उपलब्धता के संबंध में समझौते की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
झ	क्या सीजीडी नेटवर्क के अभिकल्प, बिछाने, निर्माण करने, और उसका विस्तार करने अथवा प्रचालन करने के समय सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों के अधीन सुरक्षा मानकों सहित लागू तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों का ध्यान रखा जाता है? कृपया ब्यौरा दें।	हां/नहीं
ञ	कंपनी द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों, अनुमतियों तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
ट	कृपया लागू आपदा प्रबंधक योजना की प्रति संलग्न करें।	
ठ	क्या यह योजना किसी राजसहायता अथवा किसी रियायत की पात्र है अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से आयकर सहित किसी सांविधिक शुल्क की हकदार है। यदि हां, तो फर्म की वर्षवार उपयोगिता दर्शाते हुए पूरा ब्यौरा दे।	हां/नहीं
भाग-II - कंपनी द्वारा संगत समझी गई कोई अन्य प्रस्तुति		
टिप्पणी:		
बोर्ड तिमाही आधार पर कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के खिलाफ कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति की निगरानी करेगा तथा कोई विचलन या कमी होने पर आगे कार्रवाई करेगा, जो अनुसूची घ में दर्शाए अनुसार वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।		

### घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा विवरण के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और सच्चाई से वर्णित हैं और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी हूंगा/होंगे।

2. मैं/हम बोर्ड द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना या आंकड़े निर्धारित समय में उपलब्ध कराने का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

आधिकारिक सील

सूचना भरने के लिए निर्देश:-

1. फार्म तथा संलग्न दस्तावेजों में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और बिना किसी कांट-छांट के होनी चाहिए।
2. पृथक विवरण में दिए जाने वाले व्यौरे उस मुद्दे के स्पष्ट उल्लेख के साथ दिए जाएं जिसके साथ इसे सम्बद्ध किया जा रहा है।
3. आवेदन-पत्र और सभी अनुबन्ध वक्तव्य आदि के सभी पृष्ठ किसी नोटरी पावर ऑफ एटोर्नी के माध्यम से आवेदक कंपनी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा आषाक्षरित किए जाने चाहिए।
4. आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना और भरे गए आंकड़ों को उससे संगत प्रमाण संलग्न करके सिद्ध करना होगा।
5. कंपनी को मूल के अलावा आवेदन-पत्र की सभी अनुलग्नकों सहित पांच प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
6. अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**अनुसूची झ**  
[देखें विनियम 18 (1)]

कंपनियां, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं, को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,  
सचिव,  
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,  
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,  
बाबर लेन, कनॉट प्लेस,  
नई दिल्ली-110001

विषय : प्राकृतिक गैस पाइपलाइन <नाम>, <मूल प्वाइंट>, <अंतिम उठान/सुपुर्दगी प्वाइंट> के लिए प्राधिकरण प्रदान करने हेतु आवेदन

(आवेदन सूचना प्रदान करने के लिए जहां-कहीं जरूरी हो, पृथक शीट लगाएं)

भाग-1. कंपनी का सामान्य, तकनीकी और वित्तीय ब्यौरा और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना		
1.	कंपनी का ब्यौरा	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/निजी लिमिटेड कम्पनी/सहभागिता फर्म/स्यामित्य वाली फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें) (साझेदारी के नियमों, सहभागिता विलेख, यदि कोई हो, आदि की प्रति संलग्न करें)।	
ग.	संस्थापन की तारीख और कारोबार आरम्भ करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/साझेदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा ब्यौरा दें)	
2	कंपनी द्वारा विनियम 18 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार पात्र मानदण्ड के समर्थन में उपलब्ध कराई गई सूचना और	

	डॉटा।	
क.	विनियम 5 (6) (क) के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	< _____ > रुपए
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर सं. और तारीख	
	जारी करने वाले बैंक और शाखा का नाम	
ख	कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और निर्माण करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है।	
	विनियम 5(6)(ख), (i) से (ii) के अंतर्गत अर्हक मानदण्ड के अनुसार कंपनी की तकनीकी क्षमता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य	
ग	कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन और रखरखाव करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है।	
	विनियम 5(6)(ग) (i) से (iv) के अंतर्गत अर्हक मानदण्ड के अनुसार कंपनी की तकनीकी क्षमता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य	
घ	कंपनी सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों का पालन करने के लिए सहमत है।	हां/नहीं
ड.	कंपनी के पास प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और वह विनियम 5 (6) (ड.) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम संयुक्त निवल मूल्य की शर्तों के वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती है।  <u>टिप्पणी:</u> सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत प्रमाणित न्यूनतम संयुक्त निवल मूल्य की गणना के समर्थन में सभी दस्तावेजों को संलग्न किया जाए।	

च	क्या कंपनी पर धारा 28 के अंतर्गत या अध्याय IX के अंतर्गत कोई दण्ड लगाया गया है?	हां/नहीं
छ	कंपनी द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों, अनुमतियों तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
ज	यदि फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है तो फर्म प्राधिकार देने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी बनने का वचन दे सकती है। कंपनी के प्रवर्तकों का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।  <u>टिप्पणी:</u> यदि फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट चाहती है तो बोर्ड को विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाए।	हां/नहीं
झ	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की तकनीकी विशिष्टियां	
	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग का ब्यौरा जिसके भौतिक नक्शे में निम्नलिखित दर्शाया गया हो : (i) प्राकृतिक गैस के लिए प्रवेश और निकासी प्वाइंट; (ii) मध्यवर्ती टैप ऑफ प्वाइंट; (iii) स्पर लाइनें; (iv) कंप्रेसर; (v) प्राकृतिक गैस में परस्पर-संपर्क प्वाइंट  <u>टिप्पणी:</u> (क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन डिजाइन, दबाव दर, व्यास, मोटाई, वर्ग, आदि, मार्ग ब्यौरा, पाइपलाइन हास सुरक्षा	

	<p>व्यवस्था, प्रमुख ब्लॉक वाल्व, पृथक वाल्व, आपातकाल शटडाउन वाल्व, मीटरिंग व्यवस्था, कंप्रेसर, मध्यवर्ती और सुपुर्दगी स्टेशन, तकनीकी मानक और विशिष्टियां तथा अवपसण् गण सुरक्षा मानकों आदि को अलग से उपलब्ध कराया जाए।</p>	
ज	<p>नियुक्ति तारीख को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार में भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा:</p>	
	<p>i) परियोजना के डीएफआर की प्रति संलग्न की जाए।</p> <p><u>टिप्पणी:</u> कंपनी अपने प्रबंधन द्वारा परियोजना की डीएफआर के अनुसार निवेश के औपचारिक अनुमोदन के दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न करेगी।</p>	
	<p>ii) क्या प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसके लिए प्राधिकार मांगा जा रहा है, के डीएफआर का किसी वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकन कराया जा रहा है।</p>	हां/नहीं
	<p>iii) परियोजना के लिए परिकल्पित विकास योजना का ब्यौरा डिजाइन तथा प्राकृतिक गैस की स्थापित क्षमता, यदि कोई हो, को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु फेज ऑउट योजनाओं का ब्यौरा।</p>	
	<p>iv) क्या कंपनी ने प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अपेक्षित मार्ग आधार प्राप्त कर लिया है?</p> <p><u>टिप्पणी:</u> (क) यदि उत्तर न है तो कृपया विशिष्ट कारण दें।</p>	हां/नहीं

	(ख) यदि हों, तो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराया जाए।	
	v) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्राकृतिक गैस के स्रोत हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं। यदि कंपनी ने कोई सुदृढ समझौता किया है तो समझौते की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
	vi) समय अनुसूची तथा डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में नियुक्ति तारीख से तत्काल पूर्व कंपनी द्वारा प्राप्त प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में भौतिक प्रगति की सीमा।  <b>टिप्पणी:</b> (क) कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति को साबित करने को दायित्व कंपनी का है और कंपनी इसके समर्थन में सभी आवश्यकत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। (ख) परियोजना के डीएफआर में समय अनुसूची और लक्ष्यों में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर की वास्तविक प्रगति के साथ तुलना करने का उद्देश्य अधिक समय और अधिक लागत लगने से बचना है जिसका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। (ग) कृपया कमी, यदि कोई हो, के विशिष्ट कारण उपलब्ध कराएं	<प्रतिशत के अनुसार>
	vii) व्यवहार्यता रिपोर्ट में चयनित अनुमानित पूंजी व्यय की तुलना में नियुक्ति तारीख से तत्काल पूर्व कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में की गई वित्तीय वचनबद्धता की सीमा।	<प्रतिशत के अनुसार>

	<p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>(क) पृथक रूप से सृजित भौतिक ढांचे के वर्ष-वार सकल और निवल ब्लॉक ने शीर्ष-वार परिसंपत्ति उपलब्ध कराई।</p> <p>(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति का ब्यौरा तथा पूर्णता का चरण दर्शाया जाए।</p> <p>(ग) कंपनी द्वारा की गई भौतिक वचनबद्धता को साबित करने का दायित्व कंपनी का है और कंपनी इसके समर्थन में सभी आवश्यकत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।</p>	
	<p>viii) नियुक्ति की तारीख तक गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में वास्तव में परिवहन की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा डीएफआर में अनुमानित मात्रा की तुलना में परिवहन की गई वास्तविक मात्रा में अन्तर के कारण।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>(क) उप-खण्ड viii) में दर्शाई गई मात्रा के आंकड़े भी जोन-वार और ग्राहक-वार अलग से उपलब्ध कराए जाएं।</p> <p>(ख) परियोजना की बकाया मितव्ययी अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर जोन-वार और ग्राहक-वार परिवहन और प्रदान की जाने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा अलग से दर्शाई जाए।</p> <p>(ग) कंपनी द्वारा क्षमता समझौता प्राप्त करने संबंधी प्रबंधन का खुलासा किया जाए तथा सुदृढ़ क्षमता समझौता, यदि कोई हो, करने संबंधी समझौते की एक प्रति संलग्न की जाए।</p> <p>(घ) मात्रा ऊर्जा समकक्ष के आधार पर एमएमएससीएमडी और एमएमबीटीयू में दर्शाई जाए।</p>	<p>&lt;प्रतिशत के अनुसार&gt;</p>

	ix) कंपनी को उसके प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अनुसार आंतरिक प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी जिसमें कंपनी द्वारा किसी तकनीकी मानक, विशिष्टियों के आधार का उल्लेख हो तथा सुरक्षा मानकों और ग्राहकों को सेवा गुणवत्ता, यदि कोई हो, शामिल हो।	
3.	कंपनी का वित्तीय ब्यौरा	
क	शेयर पूंजी या प्रोपराइटर की निजी	
ख	ऋण - राशि, अवधि, अधिस्थगत अवधि, ब्याज दर, ली गई तथा रहन रखी गई परिसंपत्ति, यदि कोई हो।	
ग	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ	नियत परिसंपत्तियां (शीर्ष-वार परिसंपत्ति ब्यौरा)	
ड.	चालू परिसंपत्तियां	
च	चालू देनदारियां	
छ	बिक्री कारोबार	
ज	कर उपरांत लाभ	
	(विगत तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलन-पत्रक की प्रतियां संलग्न करें) - यदि आवेदक एक सहायक कंपनी है, तो मूल कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलन पत्रक का ब्यौरा संलग्न करें।	
4.	कंपनी के व्यापार कार्यकलाप	
क	चालू किए जाने के वर्ष के साथ परिसंपत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी, प्रचालन लागतों का विस्तृत ब्यौरा, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रभारित यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ, आदि।	
ख	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में तकनीकी या प्रचालनात्मक	

	समझौता या किसी अन्य कंपनी के साथ सहयोग (ऐसे समझौते, समझौता-जापन/एचओए की प्रतियां संलग्न करें)।	
ग	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तकों द्वारा किए गए अन्य कारोबार, यदि कोई हो, का ब्यौरा	
5.	स्वामित्व और संबद्धता का ब्यौरा	
क	प्रवर्तकों का ब्यौरा	
ख	कंपनी के सभी संबद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा जिसमें कंपनी और 'संबद्ध' के बीच कारोबारी संबंध का उल्लेख किया जाए ('संबद्ध' का अर्थ संबद्ध आचार संहिता के संगत विनियमों में परिभाषित अनुसार है)।	
ग	आवेदक बोर्ड के मांग करने पर सभी संगत रिकार्डों और अपने तथा अपनी संबंधित कंपनियों के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता है।	हां/नहीं
घ	आवेदक संबद्ध आचार संहिता के संगत विनियमों का पालन करने का वचन देता है।	हां/नहीं
6.	अन्य ब्यौरा	
क	आपदा प्रबंधन योजना की प्रति संलग्न की जाए।	
ख	क्या परियोजना पर राज्य/केन्द्र सरकार से आयकर सहित कोई राजसहायता, कर माफी या छूट या शुल्क में आस्थगन की पात्रता है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।	हां/नहीं
भाग-11: बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन के संबंध में कंपनी द्वारा संगत समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।		

### घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा वक्तव्य के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और सच्चाई से वर्णित हैं और इसमें दिया गया कोई वक्तव्य, यदि सही नहीं पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा तथा मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी होंगे।

2. मैं/हम बोर्ड द्वारा अपेक्षित आगे कोई सूचना या डेटा निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने का वचन भी देता हूँ/देते हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर  
आधिकारिक सील

स्थान:

सूचना भरने के लिए निर्देश:-

1. फार्म तथा संलग्न दस्तावेजों में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और बिना किसी कांट-छांट के होनी चाहिए।
2. पृथक विवरण में दिए जाने वाले ब्यौरे उस मुद्दे के स्पष्ट उल्लेख के साथ दिए जाएं जिसके साथ इसे सम्बद्ध किया जा रहा है।
3. आवेदन-पत्र और सभी अनुबन्ध वक्तव्य आदि के सभी पृष्ठ किसी नोटरी पावर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से आवेदक कंपनी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा आयाक्षरित किए जाने चाहिए।
4. आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना और भरे गए आंकड़ों को उससे संगत प्रमाण संलग्न करके सिद्ध करना होगा।
5. कंपनी को मूल के अलावा आवेदन-पत्र की सभी अनुलग्नकों सहित पांच प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
6. अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## अनुसूची-अ

[देखें अनुसूची घ में प्राधिकरण प्रदान करने के फार्म की धारा 11 (ग)]

## कंपनी की सेवा बाध्यताएं

## 1. सामान्य

क) कंपनी संबंधित स्वीकृति प्राधिकरणों से सभी सांविधिक परमिट, निकासियां और स्वीकृतियां प्राप्त करेगी और उक्त परमिटों, निकासियों तथा स्वीकृतियों की सभी समय पर वैधता सुनिश्चित करेगी।

ख) प्राधिकरण के जारी रहने के दौरान, कंपनी इस प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी, स्वीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ लेगी और वर्तमान नियमों और विनियमों, जिनमें यथा स्थिति संशोधन करना शामिल हैं, का पालन करेगी।

ग) कंपनी विनियम 6 के उप-विनियम (5) के खण्ड (जे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराएगी, जो खुली पहुंच और बिना किसी भेदभाव के तृतीय पक्ष को प्रयोग हेतु सामान्य वाहक आधार पर उपलब्ध होगा।

(घ) कंपनी निम्नलिखित के लिए उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं व्यवस्थित करेगा:-

- (i) इसकी परिसम्पत्ति की सुरक्षा;
- (ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन में हानि और अपशिष्ट को रोकना;
- (iii) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्दिष्टताओं, जैसी कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई हैं, का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का सुरक्षित प्रचालन;
- (iv) ग्राहक शिकायतों का निपटान;

प्राधिकृत कंपनी द्वारा उक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक प्रलेखित प्रति बोर्ड को दी जाएगी और वह उसे आम जनता के हित में व्यापक रूप से प्रकाशित करेगा। बोर्ड द्वारा यदि कोई संशोधन सुझाए जाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें करना होगा।

(ड.) प्राधिकृत कंपनी अपनी निजी बाध्यताओं तथा पहुंच संहिता के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार प्राकृतिक गैस के स्रोत और परिवहन के लिए निविदाओं में अन्य कंपनियों का उल्लेख करेगी।

(च) यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली प्राधिकृत कंपनी प्राकृतिक गैस के विपणन कार्यकलाप में भी संलग्न है तो वह:

- (i) प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए संविदा के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले अनुमोदित पाइपलाइन टैरिफ को रुपए/एमएमबीटीयू में तथा अन्य संगत शर्तों के अंतर्गत उल्लेख करेगा;
- (ii) ग्राहकों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) ग्राहक को किसी संवर्धनात्मक सामग्री का प्रस्ताव नहीं देगा जो ग्राहक के साथ किए जाने वाले समझौते से संबद्ध न रखती हो;
- (iv) कोई अभ्यावेदन या विवरण या कोई उत्तर नहीं देगा या कोई उपाय नहीं करेगा जो झूठा हो या ग्राहक को गुमराह करने वाला हो; और
- (v) संबद्ध आचार संहिता के संगत विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करेगा।

(छ) विद्यमान लागू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का भुगतान करने का वचन देने वाले ग्राहक से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में टैरिफ जोन के अंतर्गत ग्राहक को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, बशर्त कि क्षमता उपलब्ध हो तथा प्रस्तावित कनेक्टिविटी की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता हो।

(ज) कंपनी लाइन-फिल मात्रा सहित प्राकृतिक गैस के परिवहन के कार्यकलाप में प्रयुक्त सभी परिसंपत्ति का बीमा करेगी तथा इस संबंध में बीमा पॉलिसी तृतीय पक्ष की देयताओं को भी कवर करेगी।

## 2. निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण

- (क) कंपनी ऐसा कोई खुदाई अथवा उससे संबंधित कार्य नहीं करेगी जिससे किसी सड़क/राजमार्ग, जलाशय, नहर, नदी, रेलवे क्रॉसिंग, वन, आदि के मार्ग में कोई विघ्न अथवा बाधा पड़ती हो, जब तक कि उचित प्राधिकारियों और सरकार से ऐसा करने की अनुमति पहले प्राप्त न कर ली गई हो और कंपनी द्वारा तदनन्तर किए जाने वाले सभी निर्माण-कार्य अनुमोदन प्राधिकारी और सरकार के अनुमोदन और उनकी संतुष्टि के अनुरूप किए जाएंगे।
- (ख) कंपनी खण्ड 2(क) में प्रदान की गई अनुमति से अनुमोदन प्राधिकारी और सरकार की स्वीकृति एजेन्सियों की पूर्व स्वीकृति के बिना, विपणन नहीं करेगी।
- (ग) कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के दौरान किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को क्षति अथवा नुकसान न पहुंचाने के लिए सभी उपयुक्त सावधानियां बरतेगी। कंपनी अथवा इसके एजेंटों की लापरवाही के कारण होने वाली किसी

हानि, नुकसान अथवा क्षति के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी और प्रभावित पक्षों को इसकी क्षतिपूर्ति करेगी।

- (घ) कंपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली सहित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली की मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी।
- (ङ.) कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विस्तृत "निर्माणानुसार" ड्राइंग सहित मानचित्र, जिनमें पाइपलाइन संबंधित उपकरणों का आकार, गहराई और अवस्थिति निर्दिष्ट मार्ग सहित मार्कर खम्बों की अवस्थिति, पाइपलाइन अनुपात आदि सही से दर्शाया गया हो, बोर्ड को नियमित आधार पर प्रस्तुत करेगी और इसमें किसी परिवर्तन, वर्धन अथवा विलोपन को नियमित रूप से अद्यतन करेगी।
- (च) कंपनी किसी ग्राहक को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने से पूर्व सभी आवश्यक गुणवत्ता जांच और निरीक्षण प्रमाणन का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (छ) कंपनी लम्बे समय से उपयोग में नहीं लाई जा रही अथवा अपमर्जित कर दी गई किसी गैस पाइपलाइन के हिस्से, उपकरण आदि को उचित रूप के साथ, पृथक, बन्द अथवा विखण्डित करेगा ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मानचित्रों तथा ड्राइंग में आवश्यक संशोधन करेगा।
- (ज) कंपनी के पास निरीक्षण, परीक्षण, व्यासमापन और मीटरों तथा उपकरणों की मरम्मत आदि के प्रयोजन के लिए नामित सुविधाओं सहित उचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं होंगी।
- (झ) आपदा प्रबंधन योजना व्यवस्थित करेगा जिसमें आपसी सहायता प्रणाली और स्थल से परे अथवा स्थल पर आपातक योजना शामिल है।
- (ञ) अन्य कोई सेवा दायित्व, जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

### 3. कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सेवाएँ और सूचनाएँ

- (क) कंपनी का एक वर्तमान डाक पता और सभी स्थलों का दूरभाष नम्बर होगा जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन स्थापित और प्रचलित की जा रही है।
- (ख) कंपनी एक डाटाबेस तैयार करेगी और अनुरोध किए जाने पर बोर्ड को निम्न के संबंध में ब्यौरे देगी:-
- प्राकृतिक गैस के ग्राहकों और शिपर्स का ब्यौरा;
  - ग्राहकों के साथ अनुबंध तथा प्राकृतिक गैस के शिपर्स की प्रतियों का ब्यौरा;
  - खण्ड (क) और (ख) में अनुबंध के नवीकरण अथवा विस्तार का ब्यौरा।

## 4. ग्राहक सूचना की गोपनीयता

- (क) कंपनी ग्राहक की लिखित सहमति के बिना बोर्ड के अलावा किसी व्यक्ति को ग्राहक सूचना का खुलासा नहीं करेगी सिवाय जन सूचना पर्याप्त रूप से ऐसे समूहित हो गई हो कि एक वैयक्तिक ग्राहक की सूचना पृथक रूप से चिन्तित नहीं की जा सकती अथवा जब ग्राहक सूचना का निम्नलिखित के लिए खुलासा करना अपेक्षित हो:
- (i) बिल दिए जाने अथवा बाजार प्रचालन प्रयोजनों के लिए;
  - (ii) कानून प्रवर्तन प्रयोजना के लिए; और
  - (iii) जब ग्राहक के विगत देय लेखे किसी ऋण संग्रहण एजेन्सी को अन्तरित किए गए हों।
- (ख) कंपनी ग्राहकों को धारा 4(क) में निर्धारित शर्तों के संबंध में सूचित करेगी जिसके अन्तर्गत ग्राहक सूचना ग्राहक की सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को जारी की जा सकती है।
- (ग) कंपनी ग्राहक सूचना का उपयोग, उस प्रयोजन के सिवाय जिसके लिए यह प्राप्त की गई है, नहीं करेगी।

## 5. शिकायतें

- (क) कंपनी अपने ग्राहक सेवा केन्द्र के पत्तों और दूरभाष संख्या को शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रदान करेगा और इन्हें समय-समय पर व्यापक तौर पर विज्ञापन जारी करेगी।
- (ख) कंपनी प्राप्त शिकायतों का एक समयबद्ध तरीके से निपटान करने में सभी उचित प्रयास करेगी।
- (ग) कंपनी बोर्ड को समय-समय पर निम्न ब्यौरा देगी:-
- (i) कंपनी को प्राप्त अथवा बोर्ड द्वारा भेजी गई शिकायतें;
  - (ii) शिकायत के निपटान की पद्धति और समय;
  - (iii) निपटान के लिए बकाया शिकायत; और
  - (iv) कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हों।

[फा. सं. एस-प्रशा./II/8/2007-खण्ड-I]

अजय त्यागी, सचिव

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2008

**G.S.R. 340(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

**1. Short title and commencement.**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- (b) “appointed day” means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
- (c) “Board” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (d) “development of natural gas pipeline” means laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline;

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2008

**G.S.R. 340(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

**1. Short title and commencement.**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
  - (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
  - (b) “appointed day” means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
  - (c) “Board” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
  - (d) “development of natural gas pipeline” means laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline;

(e) "economic life" of natural gas pipeline shall be a period of twenty five years commencing from-

- (i) the date of grant of authorization to the entity by the Board in case an entity proposes to lay, build or expand a natural gas pipeline on or after the appointed day;
- (ii) the start-up date of the commencement of physical activities of laying, building or expanding the natural gas pipeline in case an entity started up laying, building or expanding a natural gas pipeline before the appointed day and the entity has either an authorization from the Central Government before the appointed day or an authorization from the Board under these regulations:

Provided that at the end of the aforesaid period of twenty five years extension of the period of economic life may be considered by the Board for a block of ten years at a time depending on the satisfactory compliance of the service obligations under these regulations and on such terms and conditions, as it may deem fit at that point in time.

(f) "natural gas pipeline" means any pipeline including spur lines for transport of natural gas and includes all connected equipments and facilities, such as, compressors, storage facilities, metering units, etc. but excludes-

- (i) dedicated pipeline laid to transport natural gas to a specific customer to meet his requirement and not for resale;
- (ii) pipelines in a city or local natural gas distribution network which are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

(g) "natural gas pipeline tariff" means the unit rate of tariff for a natural gas pipeline (excluding statutory taxes and levies) in rupees per million British Thermal Units (Rs./MMBTU) for transport of natural gas;

(h) "tariff zone" means the zone—

(i) of a length of three hundred kilometers along the route of the natural gas pipeline; and

(ii) a corridor along the natural gas pipeline with a width of upto ten percent of the total length of the natural gas pipeline without including the length of the spur lines or fifty kilometers measured from the nearest point on the surface of the natural gas pipeline on both sides of the natural gas pipeline, whichever is lower:

Provided that the natural gas pipeline tariff for transport of natural gas shall be uniform for all the customers located within the zone:

Provided further that the entity shall supply natural gas to any customer located in the zone subject to the techno-commercial feasibility of laying, building, operating or expanding a new spur line from the natural gas pipeline.

*Explanation.-*

(a) the length of the first zone shall start from the first point of injection of natural gas in the natural gas pipeline and extend to a distance of three hundred kilometers along the natural gas pipeline;

(b) the length of each of the zones subsequent to the first zone shall be equal to three hundred kilometers; and

(c) the length of the last zone shall be equal to the balance length in the natural gas pipeline:

Provided that a distance of ten percent of the pipeline length excluding the spur lines or fifty kilometers, whichever is lower, before the point of origin and after the end point along the natural gas pipeline shall fall within the first tariff zone and the last tariff zone respectively.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

### 3. Applicability.

These regulations shall apply to an entity-

- (a) which is laying, building, operating or expanding or which proposes to lay, build, operate or expand a natural gas pipeline; or
- (b) which proposes or is directed by the Board to convert a dedicated pipeline for supply of natural gas to a specific consumer into a natural gas pipeline.

### 4. Initiation of proposal through expression of interest route or *suo-motu* by Board.

(1) An entity desirous of laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline shall submit an expression of interest to the Board in the form of an application at Schedule A alongwith an application fee as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.

- (2) The Board may *suo-motu* initiate a proposal inviting entities to participate in the process of selection of an entity for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline along any route.

**5. Criteria for selection of entity for expression of interest route.**

- (1) In case the expression of interest fulfills the criteria and the requirements stated at Schedule A, the Board shall issue an open advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) publishing receipt of an expression of interest and commencement of public consultation period of thirty days.

- (2) During the period of public consultation process any other entity which may be interested in laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline referred to in sub-regulation (1) may submit in writing to the Board its views, if any, on the expression of interest.

- (3) The Board shall web-host all comments received to facilitate possible contracts for capacity booking by different entities with the entities that may be interested in the development of natural gas pipeline so as to facilitate coming up of an optimum sized natural gas pipeline through the bidding process as stated in regulation 7.

- (4) The Board shall, based on the views received, within a period of forty five days after the last day of the public consultation period decide-

(a) to reject the expression of interest on grounds of non-availability of natural gas;

(b) not to allow the proposed natural gas pipeline if it is convinced that, instead of laying, building or expanding the proposed natural gas pipeline, the projected potential demand could be better met in cost-effective manner by expansion of an existing pipeline; or

(c) to go ahead with the proposal with or without modification:

Provided that, if required, the Board may also hold an open house discussion with the entities who have offered their views to arrive at a decision:

Provided further that the Board in deciding so shall be guided by one or more of the following objectives, namely:-

- (i) promoting competition among entities;
  - (ii) avoiding infructuous investment;
  - (iii) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensure adequate availability of natural gas throughout the country;
  - (iv) protection of customers' interest in terms of availability of natural gas at reasonable natural gas pipeline tariff;
  - (v) incentivizing rapid development of natural gas pipeline infrastructure.
- (5) The Board may, within the period specified in sub-regulation (4), publish through an open advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting), the proposal for the development of natural gas pipeline and invite bids for the same.
- (6) The Board shall scrutinize the bids received in response to the advertisement in respect of only those entities which fulfill the following minimum eligibility criteria, namely:-
- (a) entity has paid the application fee alongwith the application-cum-bid as specified for trunk lines as specified under regulation 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:

Provided that the entity submitting the bid, which has already paid the application fee at the time of submission of the expression of interest, shall not pay the application fee at this stage;

(b) entity is technically capable of laying and building natural gas pipeline as per the following qualifying criteria, namely:-

- (i) entity has on its own in the past laid and built either a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a city or local natural gas distribution network;
- (ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent equity holding by that entity) which in the past has either laid and built a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a city or local natural gas distribution network;
- (iii) entity intends to lay and build proposed natural gas pipeline on lump sum turnkey or project management consultancy basis through one or more technically competent firms, which in the past have laid and built a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers or a city or local natural gas distribution network and the entity shall also enclose a list of such firms along with aforesaid proof of their technical competence;

Provided that the entity shall have the freedom to choose from amongst such firms at the time of execution of the project and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firms included in the list and seek clarifications; or

- (iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in construction, pre-commissioning and commissioning of hydrocarbon pipelines and also has a credible plan

to independently undertake and execute the natural gas pipeline project on a standalone basis.

*Explanation.*- The entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas, namely:-

- (a) right of way acquisition or clearance securing;
  - (b) design and execution of a hydrocarbon pipeline project;
  - (c) pre-commissioning including hydro-testing and restoration; and
  - (d) safety of hydrocarbon pipeline and installations;
- (c) entity is technically capable of operating and maintaining natural gas pipeline as per the following qualifying criteria, namely:-
- (i) entity on its own has an experience of at least one year in operations and maintenance of a natural gas pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a city or local natural gas distribution network;
  - (ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven percent holding of that entity) which has an experience of at least one year in operations and maintenance of a natural gas pipeline or a city or local natural gas distribution network;
  - (iii) entity intends to operate and maintain the proposed natural gas pipeline through an appropriate firm technical assistance agreement for a period of at least one year with another party having experience of at least one year in operations and maintenance of a natural gas pipeline or a city or local natural gas distribution network; or

(iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in commissioning and operation and maintenance (O&M) of natural gas pipeline and also has a credible plan to independently undertake the O&M activities of a natural gas pipeline on a standalone basis.

*Explanation.*—

1. In relation to sub-clause (iii), —

(a) the entity shall submit in its application-cum-bid an exhaustive list of proposed firms with whom it desires to have a technical assistance agreement alongwith the proof of relevant and credible experience of such firms and the entity may choose a firm or more from amongst the firms in this list for operation and maintenance of the proposed natural gas pipeline and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firm or firms included in this list and seek any clarifications;

(b) the entity shall also submit a credible plan along with the bid to develop an in-house O&M team for the proposed natural gas pipeline.

2. In relation to sub-clause (iv), the entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas; namely:-

(a) commissioning of a hydrocarbon pipeline;

(b) operation and maintenance of natural gas pipelines and natural gas installations including gas compressors;

- (c) commercial issues including gas pricing, gas measurement, accounting, billing and collection; and
- (d) safety of natural gas infrastructure;
- (d) the entity has agreed to abide by the relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards;
- (e) the entity has adequate financial strength to execute the proposed natural gas pipeline project and operate and maintain the same and shall meet the following financial criterion to qualify for bidding for a single natural gas pipeline, namely:-

Range of estimated pipeline length including spur lines (in kilometers) (#)	Minimum combined net worth (*) of the entity along with its promoters available for investments in a single natural gas pipeline duly supported by letter of comfort from promoters (in million of rupees per kilometer of estimated pipeline length)
1,751 and above	7.50
1,001 -1,750	7.00
251-1,000	6.00
Up to 250	5.00

(\*) combined net worth (equity share capital plus free reserves, but excluding revaluation reserves) to be adequately represented by cash funds, which shall be available as bridge finance and as promoters equity contribution in the project as certified by a Chartered Accountant based on the latest financial position of the entity and its promoters. The promoters undertaking, in the form of letter of comfort, stating that promoters financial contribution in the project shall be converted in to equity share capital within three months of the date of grant of authorization must accompany the application.

(#) a fraction of the length in two decimals place and equal to 0.50 kilometer or more shall be rounded off to next 1 kilometer;

- (f) the entity, on being declared as a successful bidder and not being a company registered under the Companies Act, 1956, shall convert itself into a company registered under the Companies Act, 1956;
- (g) the entity shall have a credible plan for utilization of the capacity in the proposed natural gas pipeline;

- (h) the entity shall furnish a bid bond alongwith the submission of the application-cum-bid under sub-regulation (7) of an amount determined as per the length of the proposed natural gas pipeline as per the applicable category indicated below:-

Pipeline Length including spur lines (in kilometers) (#)	Amount of bid bond (in million of rupees)
equal to 2,501 or more	250
between 1,751 and 2,500	200
between 1,001 and 1,750	150
between 251 and 1,000	80
less than or equal to 250	20

(#) a fraction of the length in two decimals place and equal to 0.50 kilometer or more shall be rounded off to next 1 kilometer.

- (i) entity submitting the bid should not have been imposed any penalty under section 28 or punished under Chapter IX of the Act;
- (j) the entity agrees to build extra capacity in the natural gas pipeline as per the following basis, namely:-
- (i) the capacity of natural gas pipeline shall be an aggregate of the following, namely:-
- (A) capacity requirements of the entity;
- (B) firmed-up contracted capacity with other entities; and
- (C) at least thirty three percent of the sum of (A) and (B) as an extra capacity.

**Explanation.-**

The capacity shall be approved by the Board as per the basis specified in the relevant regulations for determining the capacity of natural gas pipeline.

- (ii) the capacity mentioned at item (C) of sub-clause (i) shall be available for use as common carrier by any third party on open access and non-discriminatory basis;
- (k) in case the entity submitting the bid does not fulfill the requirements of any criteria under clauses (a) to (j), the bid submitted by it shall be summarily rejected and a communication in this regard shall be sent to it and the financial bid shall not be opened for that entity;
- (l) the bid bond shall be –
- (i) encashed if an entity submitting the bid walks out;
  - (ii) released in respect of the unsuccessful entity submitting the bid;
  - (iii) retained till the specified performance bond is furnished at the time of authorization by the successful bidder.
- (7) The application-cum-bid shall be submitted in two parts in the form as specified in Schedule B in separate properly earmarked and sealed envelopes, namely:-
- (a) Part I (Technical bid) covering general particulars of the applicant and technical details of the project (including minimum eligibility criteria) under sub-regulation (6);
  - (b) Part II (Financial bid) covering the details under regulation 10.
- (8) A time period of sixty days shall be allowed for submission of the application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline and any application-cum-bid received after the notified date shall not be considered.

(9) The Board may extend the date of submission of bids upto a period of one month through an advertisement in the same manner as specified under sub-regulation (5), including in a situation where only a single application-cum-bid is received in response to the original advertisement.

**6. Invitation by Board for laying, building, operating or expansion of natural gas pipeline.**

The Board may *suo-motu* form a view regarding the development of a natural gas pipeline in a specific area, region or route, and in such a case, the procedure as specified in regulation 5 (except aspects relating to the expression of interest shall be replaced by project details as prepared by the Board) shall apply.

**7. Bidding criteria.**

(1) The Board shall tabulate and compare all financial bids meeting the minimum eligibility criteria, as per the bidding criteria given below, namely:-

(a) Lowness of the present value of the unit natural gas pipeline tariff bid under this clause for the first tariff zone in the natural gas pipeline for each year of the economic life of the project. [*natural gas pipeline tariff bid shall be for each year of the economic life of the project*].

This shall have a weightage of forty percent:

Provided that this criterion shall have a weightage of seventy percent in case the length of natural gas pipeline is not more than three hundred kilometers.

(b) Lowness of the percentage increase bid under this clause which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid for each of the year of the economic life of the project under clause (a) shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the second tariff zone over the first tariff zone for each of the year. [*a single number is to be bid*].

This criterion shall have a weightage of twenty percent.

Provided that this criterion shall have:

- (i) no weightage in case the length of the natural gas pipeline is not more than three hundred kilometers;
  - (ii) a weightage of thirty percent in case the length of the natural gas pipeline is more than three hundred kilometers but not more than six hundred kilometers;
- (c) Lowness of the percentage increase bid under this clause which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid under clause (a) for each of the year of the economic life of the project and the percentage bid under clause (b) shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the third tariff zone over the second tariff zone for each of the year:

Provided that for each successive tariff zone, the incremental increase in the unit natural gas pipeline tariff for each of the year of the economic life of the project shall be determined by multiplying the percentage increase bid under clause (c) with the incremental increase in unit natural gas pipeline tariff for the immediate preceding tariff zone for each of the year; [a single number lower than one hundred percent is to be bid].

This criterion shall have a weightage of ten percent:

Provided further that this criterion shall have no weightage in case the length of the natural gas pipeline is not more than six hundred kilometers;

*Explanation.-*

An illustration for computation of unit natural gas pipeline tariff for different tariff zones on the basis of the bids quoted under clause (a), (b) and (c) by an entity is indicated in Schedule C.

- (d) Highness of the present value of the natural gas volumes (in million standard cubic meters per day) proposed to be transported in the natural gas pipeline over the economic life of the project. [*natural gas volumes bid for transporting in the natural gas pipeline shall be for each year of the economic life of the project*].

This shall have a weightage of thirty percent.

- (2) The present value in the criteria at clauses (a) and (d) of sub-regulation (1) shall be calculated by the entity using a discount rate equal to twelve percent.
- (3) The bids for the natural gas pipeline tariff under clauses (a) to (c) of sub-regulation and the volume under clause (d) of sub-regulation (1) by the entity shall be consistent with the assumptions considered by the entity in its approved DFR of the project.
- (4) Entity with the highest composite score considering the criteria under clauses (a) and (d) of sub-regulation (1) and as illustrated in Schedule C shall be declared as successful in the bid.

#### 8. Performance bond.

- (1) Grant of authorization shall be issued to the selected entity after it furnishes a performance bond of an amount equal to 2% of the estimated project cost in the approved bid.

*Explanation.*- The amount of the performance bond shall be revised by applying the above basis in case the estimated project cost undergoes a change on completion of the financial closure as per regulation 10.

- (2) The performance bond has been prescribed for guaranteeing the timely commissioning of the proposed natural gas pipeline as per the targets laid

down in sub-regulation (3) and also for meeting the service obligations by the selected entity during the operating phase of the project.

(3) The entity shall be allowed a maximum period of thirty six months from the date of grant of authorization for commissioning of the natural gas pipeline project.

#### **9. Grant of authorization.**

(1) The authorization shall be granted to the selected entity in the format at Schedule D within a period of thirty days of the last date of submitting the bid.

(2) The grant of authorization is subject to the entity achieving a firm natural gas tie-up and a financial closure as per regulation 10.

(3) The grant of authorization to the entity shall not be renounced by way of sale, assignment, transfer or surrender to any person or entity during the period of three years from the date of its issue.

(4) The entity intending to renounce the authorization in favour of another entity after the end of the three years period shall submit a proposal to the Board at least thirty days in advance and shall provide all information as may be called for by the Board.

(5) The Board after satisfying itself that the proposal will not adversely affect the existing or proposed activities of laying, building, operating or expansion of the natural gas pipeline shall either accept the proposal in full or with such modifications as it may deem fit and in a case where the entity is permitted by the Board to take over the activities of laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline such entity shall abide by the existing or modified terms and conditions of the authorization including compliance with the service obligations:

Provided that the Board reserves the right to reject the proposal in public interest and in such a case the Board shall provide in writing the reasons for such rejection.

**10. Capacity booking, natural gas tie-up and financial closure.**

(1) The authorized entity shall achieve agreement for transport of natural gas with any entity equal to at least fifty percent of the natural gas pipeline volume bid as specified in clause (d) to sub-regulation (1) of regulation 7 for each of the first five years following the commissioning of the natural gas pipeline.

(2) The agreement specified under sub-regulation (1) shall be entered into a transparent manner and be based on the principle of *at an arm's length*:

Provided that up to ten percent of the throughput in the natural gas pipeline specified under sub-regulation (1) may be booked on firm and mutually agreed terms without insisting on physical delivery of natural gas.

(3) The entity shall submit copy of the agreement specified under sub-regulation (1) to the Board within a period of ninety days of the date of the issue of the authorization.

(4) The authorized entity shall obtain the financial closure of the project from a bank or financial institution within a period of one hundred and twenty days from the date of the authorization.

(5) In case of an internally financed project, the entity shall submit the approval of its Board of Directors' for the detailed feasibility report (hereinafter referred as DFR) of the project alongwith its financial plan within one hundred and twenty days of the authorization:

Provided that the Board may ask the entity to submit any further details or clarifications on the financial closure.

- (6) In case the entity fails to meet the requirements at sub-regulations (1) to (5), the authorization of the entity for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline shall be cancelled and the performance bond shall be encashed and the Board reserves the right to re-award the authorization in a transparent manner and the entity shall have no right whatsoever against the Board for seeking any compensation or remedy on this account.

#### 11. Fixation and recovery of natural gas pipeline tariff.

- (1) The natural gas pipeline tariff shall be fixed on a zonal postalized basis, as per the bid by the entity namely under criteria (a) to (c) of sub-regulation (1) of regulation 7.
- (2) The natural gas pipeline tariff determined for different tariff zones on the basis specified in sub-regulation (1) shall be accordingly recovered by the entity from the customers located in different tariff zones.
- (3) The applicable natural gas pipeline tariff shall be recovered through an invoice on a non-discriminatory basis, that is, without any premium or discount, from all customers.
- (4) The authorized entity is expected to maintain the operating pressure in the natural gas pipeline at all times as per its detailed feasibility report (hereinafter referred as DFR) without impairing the deliverable pressure requirements as specified in the contracts with the existing customers and also in line with the relevant regulations for technical standards, specifications including safety standards:

Provided that the authorized entity may separately charge additional compression charge towards compression of natural gas to the extent not included in the natural gas pipeline tariff as specified under sub-regulation (1) from such customer, to whom the supply of natural gas is required at a specific deliverable pressure as defined in the contract and beyond the

operating pressure profile of the natural gas pipeline as envisaged in the DFR.

**12. Expansion of capacity in natural gas pipeline.**

- (1) The entity may expand the authorized capacity in the natural gas pipeline upto ten percent and immediately inform the Board of its decision:

Provided that there shall be no change in the natural gas pipeline tariff post-expansion.

- (2) In case it is proposed to expand the capacity of the natural gas pipeline by more than ten percent of that authorized by the Board, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the natural gas pipeline provided that the entity agrees to a reduction in the unit natural gas pipeline tariff by sharing fifty percent of the proposed incremental tariff revenue calculated based on the applicable unit natural gas pipeline tariff before expansion and the incremental volumes sought to be transported.

**13. Post-authorization monitoring of activities (pre-commissioning).**

- (1) An authorized entity is required to provide, on a quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and any other relevant information in the form at Schedule E.
- (2) The Board shall seek compliance by the entity to the relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards through conduct of technical and safety audits during the pre-commissioning phase, as well as on an on-going basis thereafter, for ensuring safe commissioning and operation of the natural gas pipeline.

- (3) The Board may allow re-routing of the natural gas pipeline provided that such re-routing does not result in increase in natural gas pipeline length by more than ten percent of the authorized length of the natural gas pipeline:

Provided further that the natural gas pipeline tariff remains the same as per the authorization.

- (4) The Board shall monitor the progress of the entity in achieving various targets with respect to the natural gas pipeline project, and, in case of any deviations or shortfall, advise remedial action to the entity.

**14. Service obligations of authorized entity (post commissioning).**

- (1) The entity shall meet the annual target of transporting natural gas equal to the volume of natural gas quoted in the bid and the Board shall monitor the actual progress in this regard on a quarterly basis:

Provided that non-fulfillment of the annual target by the entity shall result in default and encashment of the performance bond on the following basis, namely:-

- (a) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default;
- (b) fifty percent of the amount of the performance bond for the second default; and
- (c) one hundred percent of the amount of the performance bond for the third default:

Provided further that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases at clause (a) to (c) within a week of encashment and in case of not meeting this requirement, the authorization shall be liable for termination.

- (2) The authorized entity shall not cause the activities of transport of natural gas in the natural gas pipeline and its delivery to any customer be made conditional to sourcing of the natural gas from the entity or any other entity.
- (3) The authorized entity shall give wide publicity of the capacity available in the natural gas pipeline for use on common carrier or contract carrier basis to encourage maximum utilization of the pipeline capacity and shall maintain information in this regard, on its official website, as specified in the relevant regulations on the access code.
- (4) The capacity available in natural gas pipeline for use as common carrier shall be allocated on the basis specified in the relevant regulations on the access code and declaring natural gas pipelines as contract carrier or common carrier.
- (5) The authorized entity shall strictly adhere to the provisions under the relevant regulations for affiliate code of conduct right from the stage of submission of the application-cum-bid and onwards including the operative phase of the natural gas pipeline.
- (6) The authorized entity shall adhere to the requirements of unbundling of the activity of transportation in the natural gas pipeline from the activities of distribution or marketing of natural gas transported in the natural gas pipeline as and when so decided by the Board.
- (7) The authorized entity shall be responsible for getting the technical and safety audits carried out by independent technical experts at intervals specified or directed by the Board during the pre-commissioning phase as well as on an on-going basis thereafter to ensure compliance with the relevant regulations for the technical standards and specifications including safety standards and the audit report along with the findings shall be submitted to the Board for its review and advise of remedial action, if any, to the entity.

- (8) The third party technical and safety audits shall be carried out by independent technical experts or accredited agencies out of the panel approved by or registered with the Board.

**15. Quality of service standards.**

- (1) The entity laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline must comply with the quality of service standards as specified in Schedule F.
- (2) The performance of the entity in complying with the quality of service standards shall be periodically assessed by the Board and compared against the minimum prescribed benchmarks and a performance consistently below the minimum prescribed benchmark may lead to the consequences specified under regulation 16.

**16. Consequences of default and termination of authorization procedure.**

- (1) An authorized entity shall abide by all the terms and conditions specified in these regulations and any failure in doing so, except for the default of the service obligation under sub-regulation (1) of regulation 14 and *force majeure*, shall be dealt with as per the following procedure, namely:-
- (a) the Board shall issue a notice to the defaulting entity allowing it a reasonable time to fulfill its obligations under the regulations;
- (b) no further action shall be taken in case remedial action is taken by the entity within the specified period to the satisfaction of the Board;
- (c) in case of failure to take remedial action, the Board may encash the performance bond of the entity on the following basis, namely:-
- (i) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default;

(ii) fifty percent of the amount of the performance bond for the second default:

Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases at sub-clause (i) and (ii) within a week of encashment failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and authorization of the entity terminated;

(iii) one hundred percent of the amount of performance bond for the third default and simultaneous termination of authorization of the entity;

(d) the procedure for implementing the termination of an authorization shall be as provided in Schedule G.

(e) without prejudice to as provided in clauses (a) to (d), the Board may also levy civil penalty as per section 28 of the Act in addition to taking action as prescribed for offences and punishment under Chapter IX of the Act.

**17. Entities authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline before the appointed day.**

(1) The entity shall submit relevant information along with supporting documents in the form as per Schedule H.

(2) The entity shall abide by the technical standards, specifications including safety standards as specified under the relevant regulations.

(3) The Board shall monitor the actual progress made by the entity in the activities of laying, building or expanding the natural gas pipeline on a quarterly basis with reference to the period of commissioning, the targets specified in the DFR of the project, and the terms and conditions of the authorization with a view to avoiding any time or cost over-runs which may adversely affect the natural gas pipeline tariff:

Provided that in case of any delay in the commissioning of the natural gas pipeline or meeting any target beyond that specified in the authorization, the Board reserves the right to-

- (a) not consider the additional costs attributable to the time over-run while fixing the natural gas pipeline tariff as specified under clause (5); or
- (b) advise the Central Government for cancellation of the authorization and encashment of the performance bond or bank guarantee, if any.

(4) The Board shall approve the natural gas pipeline tariff to be charged by the entity based on the methodology as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariffs) Regulations, 2008.

(5) In case any natural gas pipeline has been authorized by the Central Government without prescribing the usage of the same as common carrier or contract carrier basis, the Board may intervene and declare the same as common carrier or contract carrier under the relevant regulations.

(6) The activities of the entity may be subject to such other regulations as may be applicable as per the provisions of the Act.

**18. Entity not authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline before the appointed day.**

(1) An entity laying, building, operating or expanding natural gas pipeline at any time before the appointed day but not duly authorized to do so by the Central Government shall apply immediately for obtaining an authorization in the form as per Schedule I.

(2) The Board may consider the following criteria while considering the application for grant of authorization, namely:-

(a) the entity meets the minimum eligibility criteria as specified in clauses (a) to (e) and (i) of sub-regulation (6) of regulation 5 before the appointed date and is possessing all necessary statutory clearances, permissions, no objection certificates from the Central and State Governments and other statutory authorities;

(b) an entity which is not registered under the Companies Act, 1956 at the time of submitting the application for grant of authorization shall undertake to become a company registered under the Companies Act, 1956:

Provided that the Board may exempt an entity to register under the Companies Act, 1956 on such conditions as it may deem appropriate;

(c) a satisfactory assessment of the actual physical progress made and the financial commitment thereof till immediately before the appointed day in comparison with the entity's DFR appraised by the financial institution funding the project. In case the project has not been funded by any financial institution, the Board may appraise the DFR. The DFR of the entity should clearly indicate the specified length, route and capacity of the proposed natural gas pipeline;

(d) in respect of the actual physical progress made and the financial commitment thereof referred to in clause (c), a physical progress of at least twenty five percent and a financial commitment of at least twenty five percent of the capital expenditure identified for the natural gas pipeline project as per the DFR immediately before the appointed day may be considered as adequate;

(e) the Board reserves the right to get the actual physical progress and the financial commitment certified and depending upon the progress achieved, the Board may consider authorizing the entity for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline-



- (4) The Board, after examining the application in terms of the criteria under sub-regulation (3) and also taking into account the requirements in other regulations, may form a *prima-facie* view as to whether the case should be considered for authorization.
- (5) In case of *prima-facie* consideration, the Board shall issue a public notice in one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) giving brief details of the project and seek comments and objections, if any, within thirty days from any person on the proposal.
- (6) The Board, after examining the comments and objections, if any, under sub-regulation (5), may either consider or reject the case for grant of authorization for the natural gas pipeline.
- (7) In case it is decided to grant authorization, the same shall be in the form at Schedule D;
- (8) In case of rejection of the application, the Board shall pass a speaking order after giving a reasonable opportunity to the concerned party to explain its case and proceed to select an appropriate entity for the project in terms of regulation 6.
- (9) In case the entity is selected for grant of authorization for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline,-
  - (a) the natural gas pipeline tariff shall be determined under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;
  - (b) the entity shall abide by the technical standards, specifications including safety standards as specified under relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards;

(c) the Board shall monitor the actual progress made by the entity in the activities of laying, building or expanding the natural gas pipeline on a quarterly basis with reference to the period of commissioning, the targets specified in the DFR of the project and the terms and conditions of the authorization with a view to avoiding any time or cost over-runs which may adversely affect the natural gas pipeline tariff:

Provided that in case of any delay in the commissioning of the natural gas pipeline or meeting any target beyond that specified in the authorization, the Board reserves the right to not consider the additional costs attributable to the time over-run while fixing the natural gas pipeline tariff as specified under sub-regulation (a);

(d) the entity shall abide by the provisions under the relevant regulations on access code and declaring natural gas pipelines as common carrier or contract carrier;

(e) the provisions under regulations 8, 9, 13, 14, 15 and 16 shall apply to the entity.

#### **19. Provisions relating to dedicated pipelines for transport of natural gas.**

(1) In respect of dedicated pipelines existing before the appointed day, the following provisions shall apply, namely:-

(a) entity having dedicated pipeline to transport natural gas to a specific customer before the appointed day shall submit details of the pipeline length, route, capacity and customers served along with the DFR of the project to the Board within thirty days of notification of these regulations;

(b) Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into natural gas pipeline in public interest;

- (c) The Board may, based on the examination of the comments received, direct the entity to convert such pipeline into natural gas pipeline in overall public interest:

Provided that the entity shall be given an opportunity to present its case;

- (d) The entity may also submit its proposal to convert its dedicated pipeline into natural gas pipeline to the Board alongwith complete details and justifications and the Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into natural gas pipeline in public interest and the Board may, based on the examination of the comments received and in overall public interest, issue grant of authorization to the entity for conversion into a natural gas pipeline.

- (2) In respect of dedicated pipelines proposed to be laid, built, operated or expanded after the appointed day, following provisions shall apply, namely:-

- (a) the entity proposing to lay, build, operate or expand a dedicated pipeline to transport natural gas to a specific customer after the appointed day shall submit details on pipeline length, route, capacity and details of the customers served along with the DFR of the project to the Board at least thirty days before the proposed commencement of laying and building of the dedicated pipeline;
- (b) Board may web-host details of the proposed dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether, instead of a dedicated pipeline, the public interest would be better served if a natural gas pipeline is laid, built, operated or expanded;
- (c) in case, based on the examination of the comments received, the Board is of the view that instead of a dedicated pipeline natural gas pipeline would better serve the public purpose it may advise the entity

appropriately within thirty days of the receipt of the information from the entity;

- (d) in case, despite receiving the advice from the Board under clause (c), the entity still wishes to lay, build, operate or expand a dedicated pipeline, it may do so:

Provided that simultaneous to the entity building a dedicated pipeline, the Board may, on *suo-motu* basis, decide to issue an expression of interest for laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline:

Provided further that the entity shall not be allowed to apply to the Board for conversion of its dedicated pipeline into a natural gas pipeline for a period of five years from the date of the commissioning of its dedicated pipeline;

- (e) any entity laying, building, operating or expanding a dedicated pipeline for which no advice has been issued by Board under clause (c) may apply to the Board at any time for converting it into natural gas pipeline and the Board may decide to authorize the entity for such conversion in line with the procedure under clause (d) of sub-regulation (1) and the moratorium period restriction of five years specified under clause (d) shall not be applicable in such case;

- (f) the Board may, in respect of a dedicated pipeline laid, built, operated or expanded after the appointed day, direct the entity to convert dedicated pipeline into natural gas pipeline as per the following procedure, namely:-

- (i) the Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into natural gas pipeline in public interest;

(ii) the Board may, based on the examination of the comments received, direct the entity to convert such pipeline into natural gas pipeline in overall public interest:

Provided that the entity shall be given an opportunity to present its case.

(3) In case a dedicated pipeline is converted into a natural gas pipeline under sub-regulations (1) or (2), the provisions under the sub-regulation (9) of regulation 18 shall apply to such pipeline.

**20. Access and inter-connectivity to natural gas pipeline.**

The entity shall follow the access code and allow inter-connectivity to another natural gas pipeline as per the provisions of the relevant regulations for access code.

**21. Miscellaneous.**

If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

**Schedule A**

[see regulations 4 (1) and 5 (6)]

**Application form for submitting expression of interest by an entity desirous of laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline.**

- A. Only an entity which complies with the minimum eligibility criteria as per regulation 5 (6) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 is eligible to submit its application for submission of expression of interest to the Board.
- B. Entities must enclose documentary proof in support of its meeting the minimum eligibility criteria.
- C. The entity submitting the expression of interest must submit the following information:

1	<b>General Details</b>
A	<b>Name of the Entity</b>
B	<b>Type of firm – Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify)</b>
C	<b>Date of incorporation and date of commencement of business</b>
D	<b>Address of the Registered office</b>
2	<b>Basic Data</b>
A	<b>Point of origin and the end point of the proposed natural gas pipeline</b>
B	<b>Indicative route of the proposed natural gas pipeline indicating the likely natural gas injection points and likely delivery points depicted on a physical map</b>
C	<b>Natural gas availability position</b>
D	<b>Potential demand of natural gas enroute the national gas pipeline</b>
E	<b>Assessment of total gas volume for transportation in the proposed natural gas pipeline</b>
F	<b>Any other issue considered as relevant by the entity</b>
3	<b>Application fee of Rs. _____ paid vide demand draft/ pay order number &lt; ___ &gt; and dated &lt; ___ &gt; drawn on &lt;name of bank and branch&gt;.</b>

Date:

Place:

Name and signature of entity or authorized signatory

Official Seal

**Schedule B**

[see regulation 5 (7)]

**Application-cum-bid for grant of authorization for natural gas pipeline.**

To,  
 The Secretary,  
 Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,  
 1st Floor, World Trade Centre  
 Babar Lane, Connaught Place,  
 New Delhi – 110 001.

Sub: Application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline <name indicating the proposed route from the starting point till the end-point> under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

<b>Part-I – General details of the entity and technical details of the project (to be submitted in a properly earmarked, sealed and separate envelope)</b>		
<b>1</b>	<b>Details of the entity</b>	
<b>A</b>	<b>Name of the entity</b>	
<b>B</b>	<b>Type of firm – Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm / others (please specify and attach copy of Articles of Association or Partnership deed, etc., as applicable).</b>	
<b>C</b>	<b>Date of incorporation and date of commencement of business.</b>	
<b>D</b>	<b>Address of registered office.</b>	
<b>E</b>	<b>Name, addresses, telephone numbers, e-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and Pin Code).</b>	
<b>2</b>	<b>Financial details</b>	
<b>A</b>	<b>Share capital or proprietor's own funds as applicable.</b>	
<b>B</b>	<b>Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.</b>	

C	Reserves, if any	
D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	
G	Sales Turnover	
H	Profit After Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years) - In case entity is a subsidiary company, copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years of the parent company to be attached.	
<b>3 Business activities of the entity</b>		
A	Details of all existing natural gas pipelines, if any, and including design specifications, installed capacity, capital cost, year-wise details of operating cost, date of commissioning, gas volumes transported alongwith details of customer profile, map and drawings showing details of existing facilities and future plan, natural gas sources, unit natural gas pipeline tariff being charged, etc.	
B	Details of existing tie-up or collaboration with any entity for transport of natural gas for existing natural gas pipelines.	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last five years.	
<b>4 Ownership and affiliate details</b>		
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and the affiliates ("affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct).	
C	The entity undertakes to produce all relevant records or documents of itself and its related entities on	Yes / No

	<b>demand by the Board.</b>	
<b>D</b>	Is the entity a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
<b>E</b>	Is the entity promoted by a company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
<b>F</b>	The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of submission of this application-cum-bid, under the Companies Act, 1956 on being selected for grant of authorization.	Yes / No
<b>G</b>	Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that their financial contribution in the project shall be converted in to equity share capital within three months of the date of grant of authorization. Enclose the letter of comfort from the promoters.	Yes / No
<b>5</b>	<b>Technical details of the proposed natural gas pipeline project</b>	
<b>A</b>	Name of the proposed natural gas pipeline project.	
<b>B</b>	Detailed map indicating the route of the proposed natural gas pipeline with following details: (a) tariff zones marked along the proposed route (b) depiction of district, city, town, taluka or any other area falling in each tariff zone either fully or partially (c) entry and exit points (d) spur line (e) inter-connection point (f) depiction of the proposed major facilities, such as compressors, tap-off points, etc.	
<b>C</b>	Technical specifications of the project attaching the copy of the DFR and covering full details of pipeline design, pressure, length of network, pipeline diameter, pipeline thickness, route, corrosion protection arrangements, natural gas injection points, tap-off points,	

	main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, metering arrangements, HSE measures, etc.	
D	Development plan envisaged for the proposed natural gas pipeline project - design and installed capacity along with details of phased-out capital expenditure plans including the projected dates of commencement of operations phase-wise and the details of the activities or targets associated with the completion of the project to be enclosed.	
E	Proposed plan for: (i) sourcing of natural gas for injection in the natural gas pipeline; (ii) phase-wise capacity tie-up in the proposed natural gas pipeline.	
F	Are all applicable technical standards, specifications including safety standards, as specified under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards have been considered and complied with in designing the proposed natural gas pipeline? Provide full details.	Yes / No
G	Attach copy of the Disaster Management Plan.	
H	Is the project entitled to any subsidy, exemption, deferment or waiver of any statutory levy (including income tax) from the Central or the State Governments? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.	Yes / No
I	Non-refundable Application fee under the regulation 5 (6).	Rs. < _____ >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	

J	Bid bond	Rs. < >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	
Part-II: Financial bid (to be submitted in a separate earmarked sealed envelope) to be opened for those entities qualifying the minimum eligibility criteria under regulation 5 (7)		
A	Present Value (PV) of the unit natural gas pipeline tariff bid under this criterion for the first tariff zone in the natural gas pipeline over the economic life of the project (which is twenty five years from the date of authorization). <i>[natural gas pipeline tariff bid shall be for each year of the economic life of the project].</i>	<p>PV of the unit natural gas pipeline tariff bid for the first tariff zone for each year of the economic life of the project using the discount rate of 12% is Rs.&lt; &gt; per MMBTU</p> <p>Year-wise unit natural gas pipeline tariff bid for first tariff zone-</p> <p>Year 1: Rs.&lt; &gt; per MMBTU</p> <p>Year 2: Rs.&lt; &gt; per MMBTU</p> <p>...</p> <p>Year 25: Rs.&lt; &gt; per MMBTU</p>
B	Percentage increase bid under this criterion which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid for each of the year of the economic life of the project under clause A shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the second tariff zone over the first tariff zone for each of the year. <i>[a single number is to be bid].</i>	< > % increase bid
C	Percentage increase bid under this criterion which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid under clause A for each of the year of the economic life of the project	< > % increase bid

	<p>and the percentage bid under clause B shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the third tariff zone over the second tariff zone for each of the year:</p> <p>Provided that for each successive tariff zone, the incremental increase in the unit natural gas pipeline tariff for each of the year of the economic life of the project shall be determined by multiplying the percentage increase bid under this criterion with the incremental increase in unit natural gas pipeline tariff for the immediate preceding tariff zone for each of the year. <i>[a single number lower than one hundred percent is to be bid].</i></p>	
D	<p>Present value of the natural gas volumes (in million standard cubic meters per day) proposed to be transported in the natural gas pipeline over the economic life of the project. <i>[natural gas volumes bid for transporting in the natural gas pipeline shall be for each year of the economic life of the project].</i></p>	<p>PV of the natural gas volumes bid for transport in the natural gas pipeline for each of the year of the economic life of the project discounted at twelve percent is &lt;___&gt; million standard cubic meters per day (MMSCMD).</p> <p>Year-wise natural gas volumes bid -</p> <p>Year 1: &lt;___&gt; MMSCMD</p> <p>Year 2: &lt;___&gt; MMSCMD</p> <p>⋮</p> <p>Year 25: &lt;___&gt; MMSCMD</p>
<p><b>Note:</b> Please enclose a copy of the approved DFR of the proposed natural gas pipeline project for the purpose of sub-regulation (3) of regulation 7.</p>		

**DECLARATION**

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the annexure, attachments, enclosures and calculation sheets accompanying this application-cum-bid are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, the application-cum-bid shall be rejected, the application fee and the Bid Bond shall be forfeited and I / We shall be liable to be proceeded against and for punishment under the provisions of the Act.
2. I / We certify that the above application-cum-bid is the only application-cum-bid submitted and no other application-cum-bid has been or is being submitted separately for this natural gas pipeline by me / us.

Date:

Place:

Name and Signature of Entity/ Authorized Signatory

Official Seal

**Instructions for filling the Application-cum-bid:**

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement may be enclosed giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the application-cum-bid and the attachments and statements need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the entity through a notarized power of attorney.
4. Any information filled in the application-cum-bid needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The entity is required to submit three true copies (two hard copies and one soft copy) of the application-cum-bid with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete application-cum-bid is liable to be summarily rejected.

**Schedule C**

[see regulation 7 (4) and explanation under clause (a) to (c) of sub-regulation (1) of regulation 7]

**Illustration showing the basis of determining the highest composite score for ascertaining the successful bid for grant of authorization for natural gas pipeline.**

Let there be three entities whose bids need to be compared for determining the successful bid over the bidding criteria stated under clauses (a) to (d) of sub-regulation (1) of regulation 7.

(A) Natural gas pipeline tariff bid for first tariff zone in the natural gas pipeline, under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7.

Let,

T1 = Present value of the unit natural gas pipeline tariff bid for the first tariff zone for twenty five years by the 1<sup>st</sup> entity.

T2 = Present value of the unit natural gas pipeline bid for the first tariff zone for twenty five years by the 2<sup>nd</sup> entity.

T3 = Present value of the unit natural gas pipeline tariff bid for the first tariff zone for twenty five years of the 3<sup>rd</sup> entity.

Assume that T1 is lower than T2 and T2 is lower than T3.

The least present value of the unit natural gas pipeline tariff bid for the first tariff zone (LT1) shall be given a score of 100% and the present value of the other unit natural gas pipeline tariff bids for the first tariff zone shall be given a score in relation to LT1 on a pro-rata basis as under-

$$\begin{aligned} \text{LT1} &= 100 \% \\ \text{LT2} &= 100 \% \times (\text{T1} \div \text{T2}) \\ \text{LT3} &= 100 \% \times (\text{T1} \div \text{T3}) \end{aligned}$$

(B) Percentage increase bid under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid for each of the year of the economic life of the project under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7 shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the second tariff zone over the first tariff zone for each of the year.

Let,

PF1 = Percentage increase bid under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 1<sup>st</sup> entity.

PF2 = Percentage increase bid under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 2<sup>nd</sup> entity.

PF3 = Percentage increase bid under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 3<sup>rd</sup> entity.

Assume that PF1 is more than PF2 and PF2 is more than PF3.

The lowest percentage increase bid (PF3) shall be given a score of 100% and the other percentage increase bids shall be given a score in relation to LPF3 on a pro-rata basis as under-

$$\text{LPF1} = 100 \% \times (\text{PF3} \div \text{PF1})$$

$$\text{LPF2} = 100 \% \times (\text{PF3} \div \text{PF2})$$

$$\text{LPF3} = 100 \%$$

(C) Percentage increase bid under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 which when multiplied with the unit natural gas pipeline tariff bid under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7 for each of the year of the economic life of the project and the percentage bid under clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 7 shall determine the incremental unit natural gas pipeline tariff for the third zone over the second tariff zone for each of the year:

Provided that for each successive tariff zone, the incremental increase in the unit natural gas pipeline tariff for each of the year of the economic life of the project shall be determined by multiplying the percentage increase bid under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 with the incremental increase in the unit natural gas pipeline tariff for the immediate preceding tariff zone for each of the year.

Let,

PS1 = Percentage increase bid under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 1<sup>st</sup> entity.

PS2 = Percentage increase bid under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 2<sup>nd</sup> entity.

PS3 = Percentage increase bid and under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 by the 3<sup>rd</sup> entity.

Assume that PS1 is more than PS2 and PS2 is more than PS3.

The lowest percentage increase bid (PS3) shall be given a score of 100% and the other percentage increase bids shall be given a score in relation to LPS3 on a pro-rata basis as under-

$$LPS1 = 100 \% \times (LP3 + LP1)$$

$$LPS2 = 100 \% \times (LP3 + LP2)$$

$$LPS3 = 100 \%$$

(D) Bid for Natural gas volumes (in MMSCMD) proposed to be transported in the natural gas pipeline over the economic life, under clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 7.

Let,

V1 = Present value of the bid for volumes bid for proposed to be transported in the natural gas pipeline by the 1<sup>st</sup> entity over the economic life of the project.

V2 = Present value of the bid for volumes proposed to be transported in the natural gas pipeline by the 2<sup>nd</sup> entity over the economic life of the project.

V3 = Present value of the bid for volumes proposed to be transported in the natural gas pipeline by the 3<sup>rd</sup> entity over the economic life of the project.

Assume that V1 is lower than V2 and V2 is lower than V3.

The highest present value of the volumes proposed to be transported (HPV3) shall be given a score of 100% and the present value of the other volume bids shall be given a score in relation to HPV3 on a pro-rata basis as under-

$$\text{HPV1} = 100 \% \times (\text{HPV1} + \text{HPV3})$$

$$\text{HPV2} = 100 \% \times (\text{HPV2} + \text{HPV3})$$

$$\text{HPV3} = 100 \%$$

Now, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below-

$$\text{Entity 1} = 0.40 \times \text{LT1} + 0.20 \times \text{LPF1} + 0.10 \times \text{LPS1} + 0.30 \times \text{HPV1}$$

$$\text{Entity 2} = 0.40 \times \text{LT2} + 0.20 \times \text{LPF2} + 0.10 \times \text{LPS2} + 0.30 \times \text{HPV2}$$

$$\text{Entity 3} = 0.40 \times \text{LT3} + 0.20 \times \text{LPF3} + 0.10 \times \text{LPS3} + 0.30 \times \text{HPV3}$$

**Note:**

This illustration assumes the natural gas pipeline length of more than six hundred kilometers.

The entity with the highest composite score shall be declared as successful in the bid.

**Illustration for computation of the natural gas pipeline tariff for different tariff zones.**

Assuming that the composite score of the entity 2 is the highest and this entity is selected for authorization, the natural gas pipeline tariff for the first and the subsequent tariff zones during the first year shall be determined as under:

First tariff zone =	Tariff bid for first tariff zone for first year
Second tariff zone =	Tariff bid for first tariff zone for first year X [1 + PF2 / 100]
Third tariff zone =	Tariff for first tariff zone for first year X [1+ (PF2/ 100) + (PF2/100) X (PS2 / 100)]
Fourth tariff zone =	Tariff for first tariff zone for first year X [1+ (PF2/ 100) + (PF2/ 100) X (PS2/ 100)+ (PF2/ 100) x (PS2/ 100)^2]
.....and so on...	

**Schedule D'**

[see regulations 9 (1) and 18 (7)]

Grant of authorization for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline.

---

To,  
<Name of the successful entity>  
<address>

**Subject:** Grant of authorization for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline along the route of < name of starting point, name of states or union territories passing through and the name of the end point> under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

---

Sir / Madam,

With reference to your application for grant of authorization for laying, building, operating or expansion of natural gas pipeline along the route of < name of starting point, name of states or union territories passing through and the name of the end point>, it has been decided to grant authorization to you, subject to the provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 on the following terms and conditions, namely:-

1. The route for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline shall be as depicted in the enclosed drawing [<name of the originating point>, <intermediate tap-off and interconnection points>, <name of spur line> and <name of the last delivery point> of the natural gas pipeline to be depicted ].
2. The entity shall complete the activities of laying, building or expansion activities of natural gas pipeline and commission the natural gas pipeline project as per the enclosed time schedule and targets. The entity is allowed a maximum period of thirty six months from the date of issue of the authorization letter for commissioning of the natural gas pipeline project. Any

failure on the part of the entity in complying with the targets prescribed in the time schedule shall lead to consequences as specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

3. The capacity in the natural gas pipeline shall be equal to < \_\_\_ > Million standard cubic meter per day (MMSCMD).
4. The extra capacity in the natural gas pipeline shall be equal to < \_\_\_ > MMSCMD as per the provisions specified in clause (j) of sub-regulation (6) of regulation 5 and shall be available for use on common carrier basis by any third party on open access and non-discriminatory basis.
5. The authorized entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien or charge or hypothecation on the assets of the natural gas pipeline to secure finances for the project and furnish details of utilization of funds. However, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds, within a period of seven days.
6. The entity shall publish the approved tariffs for each of the tariff zone of the natural gas pipeline.
7. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of one hundred and twenty days from the date of authorization issued by the Board under regulation 9 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.
8. The furnishing of performance bond of Rs.< \_\_\_ > million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed targets submitted in the bid and for meeting the performance undertakings during operating phase of the project.

9. The entity shall abide by the service obligations specified under regulation 14 and quality of service standards under regulation 15 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.
10. In case the authorization of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the natural gas pipeline at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the natural gas pipeline.
11. The entity shall comply with the provisions under-
  - (a) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;
  - (b) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008;
  - (c) the service obligations specified in Schedule J to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;
  - (d) the relevant regulations for-
    - (i) the technical standards and specifications, including safety standards;
    - (ii) the access code;
    - (iii) determination of capacity for natural gas pipeline;
    - (iv) affiliate code of conduct;

(v) declaring natural gas pipelines as common carrier or contract carrier;

(e) any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.

12. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest, from time to time.

You are requested to confirm your acceptance in the space provided below and return the same in original.

Yours

Faithfully,

Sd/-

Dated:

Name & Designation of Officer

On behalf of the PNGRB

Official Seal

Acceptance of Grant of Authorization

I / We hereby agree to the grant of authorization issued by the Board vide letter ref. <\_\_\_> dated <\_\_\_> and agree to comply with all the terms and conditions subject to which I / We have been granted authorization for laying, building, operating or expanding natural gas pipeline along the route of <\_\_\_> in the State or the Union Territory of <\_\_\_>.

Date:

Place:

Signature of the Entity or Authorized Signatory

Name and Official Seal

**Schedule E**

[see regulation 13 (1)]

**Quarterly submission of data by authorized entity.**

- A. The data and information required to be submitted by the entity in the following form shall be analyzed by the Board by comparing the –
- (1) actual progress made by the entity including commissioning of the project versus the physical and financial targets, identified in its DFR; and
  - (2) actual volume of natural gas transported in the natural gas pipeline versus the volume committed in the bid.
- B. Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity on an annual basis for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

A	Name of Authorized Entity		
B	Project Name		
C	Date of grant of authorization		
D	Date of commencement of operations		
E	Details of composition of the ownership of the entity (give details of variations, if any, since the date of authorization)		
F	Entity shall comply with the relevant regulations for affiliate code of conduct.  <u>Note:</u> Board reserves the right to seek any information or data from the entity, as it may deem to be fit, to satisfy itself to the compliance by the entity.		
	Information and data	For the Quarter	Cumulative for the year

		—	
		—	
<b>G</b>	<b>Financial Details (in Rs. Million)</b>		
<b>1</b>	<b>Capital Investment</b>		
	<b>(a) Fixed Assets</b>		
	Opening balance		
	Direct additions		
	Transfer from Capital Work-in-progress (CWIP)		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
	<b>(b) CWIP</b>		
	Opening balance		
	Additions		
	Transfer to fixed assets		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
<b>2</b>	<b>Operating expenses</b>		
	(a) Consumables and chemicals		
	(b) Utilities – Power and Fuel		
	(c) Salaries		
	(d) Repair and maintenance		
	(e) Gen administrative expenses		
	(f) Insurance		
	(g) Any other expenses (to be detailed)		
<b>3</b>	<b>Financial Expenses</b>		
	(a) Interest on Working capital borrowings (WCB)		
	(b) Interest on term loans		
<b>4</b>	<b>Depreciation</b>		
<b>5</b>	<b>Revenue Earned</b>		
	(a) Natural gas transportation		
	(b) Marketing of natural gas		
	(c) Other income - Interest, etc		
<b>6</b>	<b>Loans Status</b>		
	(a) Term Loans		

	Opening		
	Added		
	Repaid		
	Closing		
	(Provide details of each loan - interest rate, moratorium period, term of the loan, terms and conditions, etc.)		
	(b) Working Capital Loans		
	Opening		
	Added		
	Repaid		
	Closing		
	(Provide details of each loan - interest rate, moratorium period, term, terms and conditions, etc.)		
7	Natural Gas Pipeline Tariff charged		
	(a) Natural gas pipeline tariff charged zone-wise (in Rs./ MMBTU)		
	(b) Volume of natural Gas delivered customer-wise in each tariff zone (in both MMSCMD and in equivalent MMBTU)		
	(c) Amount of natural gas pipeline tariff charged zone-wise (in Rs. Million)		
H	Physical Details		
1	(a) Volume of natural transported in the natural gas pipeline (b) Volume committed in the bid and stated in the DFR (c) Variation in (a) versus (b) alongwith reasons (d) Volume delivered customer-wise at each of the delivery points.  (volume to be given in MMSCMD and MMBTU and the basis followed for energy equivalence to be indicated)		
2	Heat value of natural gas (in MMBTU per SCM) to be provided:		
	(a) at each of the points of injection or re-injection or interconnection in the natural gas pipeline;		
	(b) at each delivery point in the natural gas pipeline;		

3	Natural gas pipeline length (in kilometers):		
	(a) till last quarter		
	(b) laid and built in the current quarter		
	(c) length as at the end of the quarter		
	(details to be provided outer diameter and pressure rating-wise)		
4	Number of compressors, intermediate terminals and delivery Terminals		
	(a) Till last quarter		
	(b) Added now		
	(c) Total as on date		
5	Project completion status - actual achievements versus that as per the approved schedule (in % terms)		
	(Provide details for each of the target as per the approved time schedule to the Grant of authorization and reasons for deviation from the same, if any)		
6	Any other information / data as may be prescribed by the Board or may be considered relevant by the entity.		

Date:

Place:

Signature of the entity or authorized signatory,

Name and Seal

Note :

The Information and data in the above format should be certified by a Chartered Accountant.

**Schedule F****[see regulation 15 (1)]****Quality of Service Standards**

---

**General.**

The purpose of specifying the quality of service standards is to specify the minimum level of performance expected of the entity in laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline in terms of service to be provided to the customers and other entities. In order to enable the entity to satisfactorily comply with the quality of service standards, other stakeholders, like, customers and other entities are also expected to diligently fulfill certain minimum responsibilities. While the authorized entity shall have to mandatorily comply with the quality of service standards, it may widely advertise the minimum responsibilities expected of the customers and other entities and also incorporate the same suitably in the contracts. The quality of service standards are indicated below:-

**1. System upkeep and customer classification.****(1) Entity's responsibility:**

- (a) to ensure upkeep of the system as per the technical standards, specifications including safety standards specified under the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards at all points of time;**
- (b) to ensure that the in case of disruption of supplies in the natural gas pipeline, city or local natural gas distribution networks shall be accorded the first priority for use of the line pack volumes in the natural gas pipeline.**

The contracts with the customers should accordingly contain a specific clause on dealing with interruptibility in natural gas supplies;

- (c) to maintain the quality of natural gas in the natural gas pipeline as per the technical standards, specifications and safety standards in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.

**(2) Customer's responsibility:**

- (a) to ensure safety of equipment and facilities, if any provided by the entity within the premises;
- (b) to clearly state the purpose of gas usage and ensure use against the same connection.

**2. Request for connection.**

**Entity's responsibility:**

- (a) after obtaining the authorization, entity to publish in newspaper and its official website its plan to lay, build, operate or expand natural gas pipeline as per the authorized route for the information of the general public;
- (b) to provide connectivity promptly provided the customer has necessary safety and statutory clearances;

**3. Metering and billing.**

**Entity's responsibility:**

- (a) responsible for ensuring delivery of natural gas, which is metered;
- (b) to make the customer aware of the specifications of the entity's metering unit;

- (c) to ensure accurate meter reading, and in case the customer demands-
- (i) institute a suitable mechanism to ensure periodic reconciliation of the readings as per the entity's metering unit with that as per the customer's metering unit, if any;
  - (ii) provide for joint meter reading as per the entity's metering unit;
- (d) to ensure correct billing for transport of natural gas as per the terms and conditions of the contract, indicating the applicable natural gas pipeline tariff. The bill should also contain customer name and address, serial number, volume (in both MMBTU and SCM), taxes/ levies, if any, amount, due date, etc;

#### 4. Disconnection of supply.

Entity's responsibility:

- (a) give proper notice explaining in detail the reason before disconnection;
- (b) ensure immediate disconnection, if proving hazardous to public safety;

#### 5. Interruptions in natural gas pipeline.

Entity's responsibility:

- (a) give due notice to customers for planned maintenance;
- (b) ensure the earliest possible resumption of supplies after interruption; and
- (c) ensure prompt recovery from unplanned interruptions;

## 6. Emergency response handling.

### (1) Entity's responsibility:

(a) to ensure in-position of the emergency response plan to -

(i) handle emergencies in co-ordination with the police, fire department, local administration and hospitals;

(ii) ensure 24X7 manning of emergency cell for handling emergencies;

(iii) put-in place a clear responsibility chart depicting roles for individuals in the times of emergency.

(b) ensure availability of disaster management plan, a copy of which should be made available to the Board as well as the local administration of the city or area through which the natural gas pipeline is passing.

### (2) Customer's responsibility:

(a) inform the entity of any potentially hazardous situation at the earliest;

(b) help the entity's personnel to contain the emergency situation, if required.

## 7. Information disclosure and customer awareness.

### Entity's responsibility:

(a) to provide on request information about the route of pipeline, pipeline capacities and specifications, like, pressure, calorific value of natural gas, etc.;

(b) to educate the customers through customer awareness campaigns on-

(i) appropriateness of burner configuration of the appliance in getting best results from usage of natural gas;

**8. Maintain database.**

Entity's responsibility:

to maintain a credible database management system to handle the data requirements of the Board and also the record of customer complaints received and action taken on the same.

**Schedule G**

[see regulation 16 (1) (d)]

**Procedure for the termination of grant of authorization of natural gas pipeline.**

The procedure for implementing the termination of the authorization of the entity to lay, build, operate or expand natural gas pipeline following default by the entity as per the provisions of regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, shall be as under:

1. On approval of termination of the authorization by the Board, the entity shall be required to submit a detailed statement of the ongoing activities in the natural gas pipeline, investments, liabilities and such other information as may be directed by the Board within a period of thirty days from the date of receipt of notice of termination by the entity.
2. The authorized entity shall be required to continue the operations of the natural gas pipeline at the same level till such time another agency or entity, as per the decision of the Board, takes over the full control of the natural gas pipeline. The Board reserves the right to appoint any other entity or agency to manage and operate the natural gas pipeline till such period of time and on such terms and conditions as it may deem fit.
3. The Board may, in any manner as it deems fit including through an issue of an advertisement, invite expression of interest or bids from entities interested in taking over the management and operation of the natural gas pipeline.
4. On receipt of expression of interest or bids, as the case may be, the Board may take an appropriate view on the procedure for evaluation and subsequent grant of authorization and an entity shall be selected to take over the operations of the natural gas pipeline from the defaulting entity.
5. The defaulting entity shall have to provide an undertaking to indemnify the newly authorized entity for any liability which may arise later as a result of its past actions.

**Schedule H**

[see regulation 17 (1)]

Information to be provided for natural gas pipeline authorized by Central Government before the appointed day.

To,  
Secretary,  
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,  
1st Floor, World Trade Centre  
Babar Lane, Connaught Place,  
New Delhi – 110 001.

Sub: Information in respect of Natural Gas Pipeline < Name> from <originating point> to <last delivery point>

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I – General, technical and financial details of the entity and the natural gas pipeline project	
1	Details of the entity
A	Name of the entity
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify) (attach copy of articles of association / partnership deed, etc.)
C	Date of incorporation and date of commencement of business
D	Address of registered office
E	Name, addresses, telephone numbers, E-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD code and pin code)
F	Particulars of the authorization granted by the Central Government for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline before the appointed day. Details of NOCs, clearances, etc. considered relevant by the entity to be provided. (Copies of the authorization and other documents to be enclosed).
2	Financial details
A	Share capital or proprietor's own Funds
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from, and asset mortgaged / hypothecated for securing the same (if any)
C	Reserves (if any)
D	Fixed Assets
E	Current Assets
F	Current Liabilities

<b>G</b>	<b>Sales Turnover</b>	
<b>H</b>	<b>Profit After Tax</b>	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for the last 3 financial years) - In case the entity is a subsidiary company, copies of the audited Profit & Loss Account and Balance Sheet for the last three financial years of the parent company to be attached.	
<b>3</b>	<b>Business Activities of the entity</b>	
<b>A</b>	Original cost and WDV of assets along with year of commissioning, detailed break-up of the operating costs, natural gas pipeline tariff, during the last three years, etc.	
<b>B</b>	Details of technical or operational tie-up or collaboration with any other entity for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline	
<b>C</b>	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years	
<b>4</b>	<b>Ownership and affiliate details</b>	
<b>A</b>	Details of promoters	
<b>B</b>	Details of affiliates of the entity mentioning the business relationship ("Affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct)	
<b>C</b>	The entity undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
<b>D</b>	The entity undertakes to abide by the relevant regulations for affiliate code of conduct.	Yes / No
<b>E</b>	Is the entity a body corporate registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
<b>F</b>	Is the entity promoted by company registered under Companies Act, 1956?	Yes / No
<b>G</b>	The entity undertakes to become a body corporate (in case it is not a body corporate at the time of providing the information herein) registered under the Companies Act, 1956 on the grant of authorization.	Yes / No
<b>5</b>	<b>Technical details of the natural gas pipeline</b>	
<b>A</b>	Name of the natural gas pipeline	
<b>B</b>	Physical map indicating the route of the natural gas pipeline including all spur-lines, entry and exit points for natural gas and the details of the existing and proposed points of inter-connection in the natural gas pipeline.	

C	<p>Technical specifications of the infrastructure in the natural gas pipeline.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) Attach copy of the DFR alongwith the management approval of the investments and</p> <p>(b) Provide full details of the natural gas pipeline design, pressure rating, diameter, thickness, class, etc., route details, pipeline corrosion protection arrangements, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, metering arrangements, compressors, intermediate and delivery stations, technical standards and specifications including safety standards being complied with, etc.</p>	
D	<p>Development plan envisaged for the natural gas pipeline project - design and installed capacity of the natural gas pipeline along with the details of phased-out plans for augmentation of the capacity and capital expenditure to be provided.</p>	
E	<p>Has the entity obtained the Right-of-Way required for laying, building, operating or expanding the natural gas pipeline as on the appointed day?</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) In case the answer is no, please give specific reasons.</p> <p>(b) If yes, documentary proof to be provided.</p>	Yes/ No
F	<p>Year-wise progress actually achieved by the entity in:</p> <p>(i) creation of the physical infrastructure in the natural gas pipeline is to be provided;</p> <p>(ii) the value of the fixed assets created head-wise and the capital work-in-progress corresponding to the physical infrastructure created till the appointed day is to be provided; and</p> <p>(iii) comparison of sub-clause (i) and (ii) with the levels as specified in the targets specified in the DFR of the project and the terms and conditions of authorization. The purpose being to avoid any time over-run or cost over-run, which may adversely affect the natural gas pipeline tariff.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) Documentary proof that the head-wise assets created and reflected as fixed assets in the books of accounts are ready for use is to be enclosed.</p>	Percentage completion to be indicated activity-wise with reference to the time schedule and the targets specified in the DFR.

	<p>(b) The stage of completion in respect of the capital work-in-progress is to be indicated and compared with that indicated in the DFR.</p> <p>(c) Details of the financial commitments actually made by the entity till the appointed day to be separately indicated and documentary proofs to be submitted.</p> <p>(d) Please state the specific reasons for shortfalls, if any, in meeting the time schedule and specific targets for completion of the activities of laying, building, operating or expanding natural gas pipeline as specified in the DFR.</p>	
G	Complete details of the arrangements made by the entity for sourcing of natural gas for the natural gas pipeline to be provided. In case the entity has secured any firm capacity tie-ups, copies of the agreements to be enclosed.	
H	<p>i) Volume of natural gas actually transported in the natural gas pipeline during the last three years till the appointed day;</p> <p>ii) Reasons for variations in the actual volumes transported versus the projections in the DFR;</p> <p>iii) Volume of natural gas proposed to be transported and sold on an annual basis during the rest of the economic life of the project.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) Volumes to be indicated in MMSCMD and MMBTU and the basis for energy equivalence to be provided.</p> <p>(b) Volume actually transported to be provided customer-wise for each of the tariff zone.</p> <p>(c) Details of arrangements to be made by the entity for securing capacity tie-ups for the natural gas pipeline to be clearly specified.</p> <p>(d) In case of the achievement of firm capacity tie-ups, copies of the agreements to be enclosed.</p>	
I	Have all applicable technical standards, specifications including safety standards, as notified by the Board been considered and complied with while designing, laying, building, expanding or operating the CGD network? Provide details.	Yes/ No
J	Copies of all the necessary statutory clearances, permissions and no objection certificates obtained by the entity from the Central and State	

	<b>Governments and other statutory authorities as applicable to the natural gas pipeline project to be attached.</b>	
<b>K</b>	<b>Attach copy of the Disaster Management Plan in place.</b>	
<b>L</b>	<b>Is the project entitled to any subsidy or entitled for any exemption or deferment or waiver of any statutory levy including income tax from the State / Central Government? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.</b>	<b>Yes / No</b>
<b>Part-II: Any other submission considered as relevant by the entity</b>		
<b>Note:</b>		
The Board shall monitor the actual progress made by entity against the targets fixed for the entity on a quarterly basis and take further action in case of any deviation or shortfall, which is to be determined on an annual basis in the manner as indicated in Schedule D.		

#### DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the Annexure and statements are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.
2. I/ we also undertake to provide any further information or data as may be required by the Board within the stipulated time.

Date:

Place:

Name and Signature of Authorized Signatory

Official Seal

#### Instructions for providing information:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement shall be provided giving clear reference of the point against which the same is being attached.

3. All pages of the information format and all annexure, statements, etc need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the applying entity through a notarized Power of Attorney.
4. Any information or data filled in the information format needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The information format is required to be submitted in three copies (two hardcopies and one soft copy) with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete information format is liable to be summarily rejected.

**Schedule I**

[see regulation 18 (1)]

Application for grant of authorization for Natural Gas Pipeline to entities not authorized by Central Government.

To,  
The Secretary,  
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board,  
1st Floor, World Trade Centre  
Babar Lane, Connaught Place,  
New Delhi – 110 001.

Sub: Application for Grant of Authorization for Natural Gas Pipeline <Name>  
from <originating point> to <last off-take/ delivery point>

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part I - General, technical and financial details of the entity and the natural gas pipeline project		
1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify) (Attach copy of articles of association / Partnership deed, etc.)	
C	Date of incorporation and date of commencement of business	
D	Address of registered office	
E	Name, addresses, telephone numbers, E-mail ID of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and pin code)	
2	Information and data to be provided by the entity in support of the eligibility criteria as specified under sub-regulation (2) of regulation 18.	
A	Non-refundable application fee under regulation 5 (6) (a)	Rs. < _____ >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order no. and date	
	Name of issuing bank and branch	
B	Entity is technically capable of laying and building natural gas pipeline	
	Documentary evidence in support of the technical capability of the entity in terms of the	

	qualifying criteria under regulation 5 (6) (b), (i) to (iv) to be attached.	
C	Entity is technically capable of operating and maintaining a natural gas pipeline.	
	Documentary evidence in support of the technical capability of the entity in terms of the qualifying criteria under regulation 5 (6) (c), (i) to (iv) to be attached.	
D	Entity agrees to abide by the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.	Yes/ No
E	Entity has adequate financial strength to execute the proposed natural gas pipeline, operate and maintain the same and meets the financial criterion in terms of having a minimum combined net worth as specified under regulation 5 (6) (e).  <u>Note:</u> All documents in support of the calculations of the minimum combined net worth duly certified by a Chartered Accountant to be attached.	
F	Has any penalty been imposed on the entity under section 28 or punished under Chapter IX of the Act? In case the answer is yes, please submit full details.	Yes/ No
G	Copies of all the necessary statutory clearances, permissions and no objection certificates obtained by the entity from the Central and State Governments and other statutory authorities as applicable for the proposed natural gas pipeline project to be attached.	
H	In case entity is not registered as a company under the Companies Act, 1956, the entity undertakes to become a company registered under the Companies Act, 1956 on grant of authorization. Full details of the promoters of the entity to be provided.  <u>Note:</u> In case the entity seeks an exemption from registering under the Companies Act, 1956, detailed justifications shall be submitted to the Board.	Yes/ No
I	Technical specifications of the natural gas pipeline	
	Details of route of the natural gas pipeline depicting the following in a physical map to be provided:	

	<p>(i) the entry and exit points for natural gas;  (ii) intermediate tap-off points;  (iii) spur lines;  (iv) compressors;  (v) point of inter-connection in the natural gas.</p> <p><b>Note:</b>  (a) Full technical details regarding the natural gas pipeline design, pressure rating, diameter, thickness, class, etc., route details, pipeline corrosion protection arrangements, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, metering arrangements, compressors, intermediate and delivery stations, technical standards and specifications including safety standards being complied with, etc. to be provided separately.</p>	
J	Details of the physical and financial progress in laying, building, operating or expanding of natural gas pipeline as on the appointed day:	
	<p>i) Copy of the DFR of the project to be attached.</p> <p><b>Note:</b>  The entity shall also enclose the documentary proof of the formal approval of the investments as per the DFR of the project by its management.</p>	
	ii) Has the DFR of the proposed natural gas pipeline project for which authorization is being sought been appraised by any financial institution?	Yes/ No
	iii) Details of the development plan envisaged for the project to be provided with respect to the design and installed capacity of the natural gas pipeline along with details of phased-out plans for capital expenditure on augmentation of the installed capacity, if any.	
	<p>iv) Has the entity secured the right of way for laying, building, operating or expanding the proposed natural gas pipeline?</p> <p><b>Note:</b>  (a) If the answer is no, please state reasons.  (b) If yes, documentary proof to be submitted.</p>	Yes/ No
	v) Complete details of the arrangements	

	made by the entity for sourcing of natural gas for natural gas pipeline to be provided. In case any firm tie-up has been achieved, copy of the agreement to be enclosed.	
	<p>vi) Extent of physical progress in laying, building, operating or expanding of the natural gas pipeline project achieved by the entity till the day immediately before the appointed day as against the time schedules and targets specified in the DFR.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) The onus of proving the physical progress actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support.</p> <p>(b) The comparison of actual progress with the levels as specified in the time schedules and targets in the DFR of the project is with the purpose to avoid any time over-run or cost over-run, which may adversely affect the natural gas pipeline tariff.</p> <p>(c) Please provide specific reasons for shortfalls, if any.</p>	<in percentage terms>
	<p>vii) Extent of financial commitment actually made by the entity in the natural gas pipeline project till the day immediately before the appointed day as against the estimated capital expenditure identified in the feasibility report.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>(a) Year-wise gross and net blocks of the physical infrastructure created to be separately provided asset-head wise.</p> <p>(b) Details of capital work-in-progress and the stage of completion to be indicated.</p> <p>(c) The onus of proving the financial commitment actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support.</p>	<in percentage terms>
	viii) Volume of natural gas transported in the natural gas pipeline during the last three years till the appointed day and the	<in percentage terms>

	<p>reasons for variations in actual volumes transported versus the projections made in this regard in the DFR.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>(a) Data on volume indicated in sub-clause vii.) should also be separately provided zone-wise and customer-wise.</p> <p>(b) Volume of natural gas proposed to be transported and delivered zone-wise and customer-wise on an annual basis during the rest of the economic life of the project to be separately indicated.</p> <p>(c) Entity to disclose the arrangements for securing capacity tie-ups and enclose the copy of the agreement for firm capacity tie-up achieved, if any.</p> <p>(d) Volume to be indicated in MMSCMD and in MMBTU with the basis of energy equivalence.</p>	
	ix) Entity to enclose the copies of the internal procedures and guidelines as approved by its management prescribing the basis of compliance by the entity to any technical standards, specifications, including safety standards and the quality of service to customers, if any.	
<b>3</b>	<b>Financial details of the entity</b>	
<b>A</b>	<b>Share capital or proprietor's own funds</b>	
<b>B</b>	<b>Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.</b>	
<b>C</b>	<b>Reserves, if any</b>	
<b>D</b>	<b>Fixed Assets (head-wise asset details)</b>	
<b>E</b>	<b>Current Assets</b>	
<b>F</b>	<b>Current Liabilities</b>	
<b>G</b>	<b>Sales Turnover</b>	
<b>H</b>	<b>Profit after Tax</b>	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years) - In case applicant is a subsidiary company, copies of audited Profit & Loss Account & Balance Sheet for last three financial years of the parent company to be attached.	
<b>4</b>	<b>Business activities of the entity</b>	

A	Original cost and WDV of assets along with year of commissioning, detailed break-up of the operating costs, unit natural gas pipeline tariff charged during the last three years, etc.	
B	Details of technical or operational tie-up or collaboration with any other entity in respect of the natural gas pipeline project (enclose copies of such agreements, MOUs/ HOA)	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years	
<b>5 Ownership and affiliate details</b>		
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and the affiliates ("Affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct)	
C	The applicant undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	The applicant undertakes to abide by the relevant regulations for affiliate code of conduct.	Yes / No
<b>6 Other details</b>		
A	Copy of Disaster Management Plan to be attached	
B	Is the project entitled to any subsidy, tax waiver or exemption or deferment of any levy including income tax from the State / Central Government? If yes, give details.	Yes / No
<b>Part-II:</b> Any other submission considered as relevant by the entity with regards to its application for grant of authorization for natural gas pipeline by the Board.		

## DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information, and data given in the Annexure and statements are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.
2. I/ we also undertake to provide any further information or data as may be required by the Board within the stipulated time.

Date:

Place:

Name and Signature of Authorized Signatory

Official Seal

Instructions for providing information:

1. All entries in the form and annexed documents should be legible with no cuttings.
2. Details requiring separate statement shall be provided giving clear reference of the point against which the same is being attached.
3. All pages of the information format and all annexure, statements, etc need to be serially numbered and initialed by the person or official authorized by the applying entity through a notarized Power of Attorney.
4. Any information or data filled in the information format needs to be substantiated by attaching relevant proof of the same.
5. The information format is required to be submitted in three copies (two hardcopies and one soft copy) with all the enclosures in addition to the original.
6. Incomplete information format is liable to be summarily rejected.

**Schedule J**

[see clause 11 (c) of the form of grant of authorization in Schedule D]

**Service Obligations of entity****1. General.**

- (a) The entity shall obtain all statutory permits, clearances and approvals from the concerned approving authorities and shall at all times ensure the validity of said permits, clearances and approvals.
- (b) During the continuance of the authorization, the entity shall transport natural gas along the authorized pipeline route in accordance with the terms of this authorization, charge the approved natural gas pipeline tariff and abide by the extant rules and regulations, including such revisions as the case may be.
- (c) The entity shall provide extra capacity in the natural gas pipeline as specified under clause (j) of sub-regulation (5) of regulation 6, which shall be available for use on common carrier basis by third party on open access and non-discriminatory basis.
- (d) The entity shall put in place an appropriate system and procedures for :
  - (i) protection of its property;
  - (ii) prevention of loss and waste in the operation of the natural gas pipeline;
  - (iii) safe operation of natural gas pipeline following the technical standards and specifications including safety standards as notified by the Board;
  - (iv) redressal of consumer grievances;

A documented copy of the said systems & procedures shall be provided by the authorized entity to the Board. Modifications, if any, suggested by the Board shall be carried out by the entity.

- (e) The authorized entity shall specify its own obligations as well those of the other entities in the contracts for sourcing and transport of natural gas as may be specified in the relevant regulations for access code.
- (f) In case the authorized entity laying, building, operating or expanding natural gas is also engaged in the activity of marketing of natural gas, it shall:
- (i) state the approved pipeline tariff to be paid under the contract for the transport of natural gas expressed in Rs./ MMBTU and other relevant terms proposed in the contract;
  - (ii) not exert undue pressure on the customer;
  - (iii) not make any offer or provide any promotional material to the customer that is inconsistent with the contract being offered to or entered into with the customer;
  - (iv) not make any representation or statement or give any answer or take any measure that is false or is likely to mislead a customer; and
  - (v) shall adhere to the provisions under the relevant regulations for affiliate code of conduct.
- (g) The entity shall be under an obligation to provide connectivity to the consumer within a tariff zone in a natural gas pipeline on receipt of a specific request, the consumer undertaking to pay the applicable natural gas pipeline tariff, subject to availability of capacity and the technical and economic viability of the proposed connectivity.

- (h) The entity shall insure all the assets used in the activity of transport of natural gas including on the line-fill volumes and the insurance policy in this regard shall also cover third party liabilities.

## **2. Construction, Operation & Maintenance.**

- (a) The entity shall not undertake any excavation or related work, which shall disturb or interfere with the surface of the traveled portion of any road / highway, water body, canal, river, railway crossing, forest, etc. unless a permit for the same has been first obtained from the appropriate authorities and the Government and all works subsequently undertaken by the entity shall be carried out in line with the terms of approval and to the satisfaction of the approving authority and the Government.
- (b) The entity shall not deviate from the permission granted in clause 2 (a) above without the prior approval of the approving authority and the Government.
- (c) The entity shall during the construction, maintenance and operation of the natural gas pipeline system use all reasonable precaution to avoid damage or injury to any person or property. The entity shall further be liable for any loss, injury or damage attributed to the negligence of the entity or its agents and shall indemnify the affected parties.
- (d) The entity shall establish a centralized control room for monitoring and control of the natural gas pipeline system, including the disaster management system.
- (e) The entity shall furnish on regular basis to the Board, the map including detailed "as built" drawings, accurately depicting the size, depth & location of pipelines, related equipment, location of marker posts indicating the route, pipeline gradient, etc. of the natural gas pipeline and regularly update the same for any change, addition or deletion.

- (f) The entity shall ensure compliance of all necessary quality checks and inspection certification before providing connectivity to any customer.
- (g) The entity shall properly purge, isolate, blind or dismantle any gas pipeline segment, equipment etc, which is not in use for long time or has been abandoned, to ensure complete safety and necessary modifications shall be carried out in the maps & drawings.
- (h) The entity shall have proper systems and procedures including designated facilities for undertaking inspection, testing, calibration and repair of meters and equipments, safety equipments, etc.
- (i) Put in position the disaster management plan including mutual aid system and offsite or onsite emergency plan.
- (j) Any other service obligation, which the Board may specify from time to time.

**3. Services and information to be maintained by the entity.**

- (a) The entity shall have a current mailing address and telephone number of all locations where the natural gas pipeline is being set-up and operated.
- (b) The entity shall maintain a database and provide to the Board on request:
  - (i) details of the customers and shippers of natural gas;
  - (ii) the copies of contracts with the customer and shippers of natural gas;  
and
  - (iii) details of renewal or extension of contracts at clause (a) and (b).

**4. Confidentiality of Consumer Information.**

- (a) The entity shall not disclose customer information to any person other than the Board, without the consent of the customer in writing, except when the information has been sufficiently aggregated such that an individual consumer's information cannot be separately identified, or where the consumer information is required to be disclosed:
- (i) for billing or market operation purposes;
  - (ii) for law enforcement purposes;
  - (iii) when past due accounts of the consumer have been passed to a debt collection agency.
- (b) The entity shall inform customers regarding the conditions described in paragraph 4 (a) under which customer information may be released to a third party without the consumer's consent.
- (c) The entity shall not use consumer information obtained for a purpose other than for which it was obtained.

#### **5. Complaints:**

- (a) The entity shall provide the address and telephone number of its customer service centre for lodging of any complaint and widely advertise the same from time to time.
- (b) The entity shall make all reasonable efforts in resolving the complaints received in a time bound manner.
- (c) The entity shall maintain and periodically provide to the Board, the details of:
- (i) complaint received by the entity or referred to by the Board;

- (ii) method and time of disposal of complaint;
- (iii) complaint pending for redressal; and
- (iv) comment on the quality of service provided by the entity and suggestions, if any.

[F. No. S-Admn./II/8/2007-Vol. I]

AJAY TYAGI, Secy.